

ई-निविदा दस्तावेज

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) 1250 टीसीडी शक्कर कारखाना के लिए अनाधिकृत (मेक) मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल सामग्रीयों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

द्वितीय ई-निविदा संख्या -170477

निविदा दिनांक-10/07/2025



कार्यालय, प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क - 1000/-

निविदा दस्तावेज संख्या:

आवश्यकताओं का विवरण:

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.) 1250 मि. टन गन्ना पेराई प्रतिदिन क्षमता का चीनी उत्पादक कारखाना है। आवश्यकता के अनुसार निविदा को अंतिम रूप देने के बाद सभी सामग्रियों की आपूर्ति प्रबंध संचालक या उनके अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी।

नोट:-

1. यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।
2. दस्तावेज में 44 पृष्ठ हैं।
3. तकनीकी और वाणिज्यिक भाग के सभी पृष्ठों पर केवल निर्माता/अधिकृत व्यक्ति या विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के प्रतिनिधि द्वारा ही हस्ताक्षर किया जाना है।
4. तकनीकी और वाणिज्यिक भाग पूरी तरह से भरकर मूल रूप से अलग-अलग आनलाईन जमा किया जाना होगा।
5. जहां आवश्यक हो पृथक से दस्तावेज संलग्न करें।

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

स्वीकृति/पावती

निविदाकार का नाम एवं पता

विषय सूची

1. निविदा सूचना
2. निविदा जानकारी.....
3. निविदा प्रस्तुत करना.....
4. जोखिम धन जमा (ईएमडी).....
5. कार्य/आपूर्ति का दायरा
6. सामान्य नियम और शर्तें
7. विशेष नियम और शर्तें
8. भुगतान खंड.....
9. वारंटी और गारंटी
10. अनुबंध का प्रपत्र
11. निविदा दर वैधता पत्र.....

भाग- I. ईएमडी (भाग-ए).....

भाग- II. तकनीकी भाग (भाग -बी).....

भाग- III. वाणिज्यिक भाग (भाग -सी).....

भाग- I निविदा विवरण

1. निविदा सूचना

द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक-170477 / DMSSKM/P.O./BALOD,

दिनांक- 10/07/2025

प्रबंध संचालक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.) के द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम एवं क्रय नियमों के तहत शक्कर कारखानों के इंजीनियरिंग मर्दों एवं मशीनों की मरम्मत/रखरखाव संबंधी सामग्रियों हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा में भाग लेने वाले विक्रेता/आपूर्तिकर्ता वाणिज्यिक और तकनीकी भाग से संबंधित सभी कागजातों को संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकार को वाणिज्यिक/तकनीकी भाग जमा करते समय निम्नलिखित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा और इन शर्तों को पूरा करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. निविदाकार सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा के सभी तीनों भागों को भरकर ऑनलाईन जमा करना होगा। अस्पष्ट व अधूरे भरे हुए निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा में अधिकृत सामग्री को अधिकृत विक्रेता/सामग्री निर्माता के द्वारा ही क्रय किया जाएगा। निविदाकार द्वारा अधिकृत विक्रय प्रमाण पत्र/निर्माता का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा में जिन सामग्रियों में अधिकृत विक्रेता/निर्माता फर्म से क्रय किये जाने की अनिवार्यता नहीं है, ऐसे निविदा में शामिल सामग्रियों हेतु अधिकृत विक्रेता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
4. निविदा में पात्र निविदाकार को दिये गये कार्य आदेश में उल्लेखित समयावधि में ही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। समयावधि में सामग्री के आपूर्ति नहीं करने पर प्रबंधन द्वारा जुर्माना लगाया जायेगा तथा समयावधि के बाद सामग्री स्वीकार करने के लिए प्रबंधन बाध्य नहीं होगा।

निविदा दस्तावेज को निविदाकार, निविदा शुल्क राशि रुपये 1311/-(1000/-+311/- ऑनलाईन माध्यम से दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के पक्ष में दिनांक 23/06/2025 को रात्रि 08:00 बजे से 10/07/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक जमा कर प्राप्त कर सकता है। निविदा शुल्क राशि जमा होने के बाद वापस नहीं किया जायेगा। निविदा दस्तावेज वेबसाइट: www.eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड/अपलोड किया जाएगा।

ई-निविदाएं दिनांक 10/07/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी तथा तकनीकी भाग एवं वाणिज्यिक भाग 10/07/2025 को प्रातः 11:00 बजे खोली जाएंगी। प्रत्येक निविदा के साथ उद्धृत किए जा रहे कार्यों/सामग्रियों के कुल मूल्य का 3% ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) जमा करनी होगी।

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित
बालोद (छ.ग.)

2. निविदा जानकारी

1. निविदा सूचना क्रमांक—170477/DMSSKM/P.O./BALOD, दिनांक— 10/07/2025
2. निविदा दस्तावेज की लागत : 1311/—
3. निविदा दस्तावेज की तिथि : 23/06/2025 को रात्रि 08:00 बजे से 10/07/2025 को प्रातः 10:00 बजे तक
4. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय: 10/07/2025 को प्रातः 10:00 बजे
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 10/07/2025 प्रातः 11:00 बजे।
6. निविदा खोलने का स्थान:— कार्यालय, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)
7. सभी पत्राचार के लिए पता : कार्यालय, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद (छ.ग.)

3. निविदा प्रस्तुत करना

3.1 निविदा दस्तावेज की सामग्री

भाग – I ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) जमा करने से संबंधित दस्तावेज जमा किया जाना होगा।

भाग – II तकनीकी भाग (तकनीकी भाग मूल रूप में भरा और जमा किया जाना होगा, अपूर्ण व अस्पष्ट भरने पर निविदा अस्वीकृत की जायेगी)

भाग – III वाणिज्यिक भाग (वाणिज्यिक भाग मूल रूप में भरा और जमा किया जाना होगा, अपूर्ण व अस्पष्ट भरने पर निविदा अस्वीकृत की जायेगी)

3.2 ई—निविदा तैयार करने के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं:—

- (1) ईएमडी (जोखिम धन जमा राशि) के दस्तावेज को अपलोड करना होगा।
- (2) निर्धारित तकनीकी भाग को मूल रूप से भरकर अपलोड करना होगा।
- (3) निर्धारित वाणिज्यिक भाग मूल रूप से भर कर अपलोड करना होगा।

3.3 ई—निविदा जमा करने का तरीका

3.3.1 ई—निविदा प्रकाशन में दिये गये नियत तिथि और निर्धारित समय तक eproc.cgstaste.gov.in वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

3.3.2 निविदाकारों से अनुरोध है कि निविदा को समय पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3.3.3 निर्धारित तिथि और समय के बाद अपलोड की गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.3.4 मानदंडों के अनुसार प्रति सामग्री/सेवा पर न्यूनतम 3 निविदाकार का होना आवश्यक हैं।

3.3.5 अधिकृत विक्रेता द्वारा दर कोड नहीं करने/ निविदा में भाग नहीं लेने अथवा सामग्री आपूर्ति नहीं कर पाने की स्थिति में उपअधिकृत विक्रेता (सबडिलर) द्वारा प्रस्तुत दर भी मान्य किया जायेगा।

3.3.6 ईएमडी राशि (जोखिम धन जमा राशि) कुल निविदा राशि का 3% जमा करना आवश्यक है।

3.4 ई—निविदा दस्तावेजों की जांच सूची

जांच सूची निविदाकारों को ई—निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करने में मदद करेगी। (निविदाकार जो क्रं. सं. 3.4.2 में दी गई तकनीकी में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो वाणिज्यिक बोली नहीं खोली जाएगी)।

3.4.1 जोखिम धन जमा राशि (भाग संख्या-अ)

भाग संख्या सं.-अ में आरटीजीएस/एनईएफटी अथवा संस्था में पूर्व में जमा राशि के रूप में जमा की गई ईएमडी जमा राशि से संबंधित दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य है।

3.4.2 तकनीकी भाग (भाग संख्या-ब)

- 1) तकनीकी भाग केवल निर्धारित प्रारूप में स्पष्ट भरी जानी चाहिए और मुहर के साथ हस्ताक्षर करना होगा।
- 2) जीएसटीआईएन संख्या प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3) निविदाकार को सामग्री का लिखित गारंटी/वारंटी एवं सर्विसिंग का कार्य समय पर पूरा होने/सर्विसिंग कार्य के पेराई सीजन के लिए गारंटी/वारंटी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4) निविदाकार को कुल निविदा राशि एवं निविदा राशि का 3 प्रतिशत अमानत राशि को तकनीकी भाग में लिखना होगा।
- 5) सत्यनिष्ठ वचन पत्र भरकर हस्ताक्षर व मुहर के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- 6) अनुबंध का प्रपत्र (निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है) क्रमांक 11 के प्रारूप के अनुसार बोली लगाने वाले को लिखित पत्र संलग्न करना होगा
- 7) निविदा की दरें निविदा स्वीकृति की तारीख से 12 महीने तक वैध हैं।
- 8) फर्म द्वारा प्रस्तुत दर की वैधता को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
- 9) निविदाकार द्वारा पूर्व में जमा ईएमडी राशि को समायोजित कर शेष ईएमडी राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 10) निविदाकार को चीनी संयंत्र का अनुभव प्रमाण पत्र या खरीद/आपूर्ति कार्य आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 11) निर्माता/अधिकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को वरीयता दी जाएगी।
- 12) निर्माता/अधिकृत विक्रेता को निर्माता/प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 13) निविदाकार को पिछले 02 वर्ष के कारोबार का विवरण या आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र या लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3.5 वाणिज्यिक भाग (भाग संख्या – स) मूल्य बोली

वाणिज्यिक भाग केवल निर्धारित प्रपत्रों में ही भरी जानी चाहिए और मुहर के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

3.6 जीएसटी के नियम एवं शर्त

1. दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) का GSTIN 22AAAAD3079K1ZV है।
2. शक्कर कारखाना का जीएसटी नं. 22AAAAD3079K1ZV को वेंडर के द्वारा इनवॉइस में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
3. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को संबंधित सामग्री/सेवाओं के विक्रय के साथ जीएसटी कर चालान बिल प्रस्तुत करना होगा, बिना टैक्स चालान के सामग्री को स्वीकार नहीं होगी।

4. विक्रेता को समय पर जीएसटी का भुगतान करके, जीएसटी भुगतान प्रमाण पत्र कारखाने में जमा करना होगा। इस तरह के किसी भी गैर-अनुपालन के मामले में, चीनी कारखाने को इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि ब्याज एवं विविध शुल्कों सहित का दावा करने का अधिकार है।
5. जीएसटीआर-1 में आपूर्ति सामग्री की वापसी में शक्कर कारखाने को समय पर और जारी चालान के अनुसार की गई आपूर्ति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना है। यदि विवरण GSTR-1 में प्रस्तुत नहीं किया गया है या यदि यह हमारे GSTR-2 में सही ढंग से नहीं भरा गया है, तो चीनी कारखाने को विक्रेता द्वारा सुधार किए जाने तक भुगतान रोकने का अधिकार है।
6. वेंडर को भुगतान स्थानीय प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ सरकार एवं/या केंद्र सरकार के नियमानुसार आयकर, जीएसटी के तहत टीडीएस की कटौती के बाद किया जायेगा।
7. यदि कोई फर्म संस्था में पूर्व से कार्यरत है अर्थात् अपनी सामग्री व सेवा संस्था में प्रदाय करता है तो संस्था द्वारा भुगतान किए गए सम्पूर्ण देयकों (बिल) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट संस्था को प्राप्त न हुआ हो तो जीएसटी रिटर्न संबंधी शर्तों के अनुपालन में चुक करने, मानकर निविदा में अपात्र किया जावेगा एवं भविष्य में कालीसूची में शामिल भी किया जा सकता है।

4.ईएमडी राशि (जोखिम राशि)

ई-निविदा में प्रदाय किए जा रहे प्रत्येक सामग्री/सेवा कार्य के कुल मूल्य का 3% ईएमडी राशि (जोखिम राशि) बैंक में जमा करना अनिवार्य है। ईएमडी राशि (जोखिम राशि) को केवल RTGS/NEFT के द्वारा कारखाना के बैंक खाता संख्या 31360100006799, बैंक ऑफ बडौदा IFSC कोड संख्या BARB0BALODX दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में जमा करना होगा।

- 4.1 ईएमडी राशि (जोखिम राशि) के जमा न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 4.2 निविदा में असफल/अपात्र निविदाकारों की ईएमडी राशि नियमानुसार वापस की जायेगी।
- 4.3 ईएमडी राशि दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद के पास जमा रहेगी तथा ईएमडी राशि पर अर्जित ब्याज निविदाकार को देय नहीं होगा।
- 4.4 सरकारी एजेंसियों को ईएमडी राशि जमा करने से छूट दी गई है।
- 4.5 ईएमडी राशि निविदा में कोड किए गए मूल्य का 3 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4.6 उपरोक्तानुसार दिए गए संस्था के खाते में ईएमडी राशि जमा दर्शित होने पर ही निविदा मान्य होगा।
- 4.7 यदि कोई फर्म जो संस्था में पूर्व वर्षों का वापसी योग्य ईएमडी राशि का समायोजन इस निविदा में करना चाहता है तो संस्था की लेखा कक्ष से समायोजन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जो कि गत वर्षों का ईएमडी खाते में जमा दर्शित होगा।

5.कार्य/आपूर्ति का दायरा

निविदाकारों को निविदा फॉर्म के नियमों और शर्तों के साथ-साथ कारखाने द्वारा जारी क्रय आदेश का पालन करना होगा।

5.1 गुणवत्ता प्रबंधन

विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता अनुबंध के अनुसार सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता और विशिष्टताओं को बनाए रखना आवश्यक है। विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य दिये गये मानक से निम्न मानक का प्राप्त होने पर कारखाने के संबंधित

पदाधिकारी/तकनीकी समिति के द्वारा अस्वीकार किया जाएगा। यदि तकनीकी समिति को कोई नकली/निम्न मापदंड की सामग्री प्राप्त होने पर वही सामग्री बाहरी प्रतिष्ठित एजेंसियों को जाँच के लिए भेजी जा सकती है, जिसकी लागत विक्रेता के खातों से डेबिट की जाएगी। तकनीकी समिति के द्वारा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण को विक्रेता द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। यदि कारखाने की तकनीकी समिति किसी भी सामग्री को अस्वीकार करती है तो विक्रेता को 15 दिन के भीतर अपने खर्च पर वापस लेना होगा। अन्यथा उक्त सामान के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं होगी। यदि आपूर्ति की गई सामग्री नकली/निम्न मानक पाई जाती है, और विक्रेता नकली सामग्री को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं लेता है कारखाने की किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी व इस संबंध में भविष्य में दावा नहीं किया जा सकता तथापि शककर कारखाने द्वारा वापस कर दिया जाएगा। वापसी लागत एवं सामग्री के कारण हुए नुकसान का 18% (सामग्री की कीमत का) की दर से ब्याज सहित पार्टी से वसूल किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

- 5.2 आवश्यक सामग्री
सामग्री की संलग्न सूची के अनुसार। (वाणिज्यिक भाग-III)
- 5.3 अस्थायी अनुसूची
क्रय आदेश के नियम एवं शर्तों के अनुसार।

6. सामान्य नियम और शर्तें

किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रबंध संचालक एवं कारखाना अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।

- 6.1. निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं हैं।
- 6.2. निम्न विवरण प्रस्तुत किया जाना है:—
 - 6.2.1 निर्धारित तकनीकी और वाणिज्यिक भाग में मांगे गए अनुसार सभी विवरण प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य है।
 - 6.2.2 सामग्री/सेवाकार्य की दरों को अंकों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना अनिवार्य है। किसी भी कांट-छांट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 - 6.2.3 यदि कोई स्कोरिंग या कांट-छांट या सुधार है, तो निविदाकारों को पूरे हस्ताक्षर के साथ प्रमाणित करना होगा।
 - 6.2.4 तकनीकी भाग में आवश्यक विशेष जानकारी प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकार की जा सकती है।
 - 6.2.5 निविदाकार को तकनीकी भाग में निर्धारित प्रारूप में यह वचन देना होगा कि वह वाणिज्यिक निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करता है।
- 6.3 निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी/क्रय समिति के पास निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
 - 6.3.1 क्रय समिति बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ऐसे मामले में निविदाकर्ता किसी भी मुआवजे के लिए पात्र नहीं होंगे।

- 6.3.2 कारखाने में सामग्री की आवश्यकता के अनुसार निविदा में दी गई सामग्री की मात्रा या उससे कम या अधिक मात्रा का क्रय आदेश न्यूनतम दर विक्रेता को देने का अधिकार कारखाना प्रबंधन को होगा। जिसे न्यूनतम दर विक्रेता को स्वीकार करना होगा।
- 6.3.3 निविदा में दी गई सामग्री का विशेष विवरण में संशोधन करने का अधिकार प्रबंधन को होगा तथा कारखाना प्रबंधन निविदा में प्राप्त दर अधिक होने पर बातचीत (नेगोसिएशन) द्वारा सामग्री की सामान्य दर पर क्रय करने का अधिकार होगा अन्यथा की स्थिति में कारखाना प्रबंधन निविदा दर को निरस्त कर सामग्री क्रय करने की निविदा पुनः जारी करना या अधिकृत विक्रेता से क्रय करने का अधिकार प्रबंधन को होगा।
- 6.3.4 कारखाना क्रय समिति को जहां भी आवश्यक हो संस्था हित में निर्धारित नियम व शर्तों में छूट या संशोधन करने का अधिकार होगा।
- 6.3.5 निविदा में किसी सामग्री/सेवाकार्य के लिए विक्रेताओं की संख्या कम होने पर या निविदा में विक्रेता/निविदाकार में प्रतियोगिता बढ़ाने हेतु क्रय समिति ईएमडी राशि के अतिरिक्त निविदा के तकनीकी भाग, वाणिज्यिक भाग में दी गई शर्तों में किसी भी निविदाकार को छूट प्रदान कर सकता है। जिसे अन्य निविदाकारों/विक्रेताओं को मान्य होगा।
- 6.3.6 जिस निविदाकार को छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के किसी शक्कर कारखाने में काली सूची में सूचीबद्ध किया है। उस निविदाकार की निविदा अमान्य मानी जायेगी।
- 6.4 निविदा खोलने की प्रक्रिया
- 6.4.1 प्रबंध संचालक, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद छत्तीसगढ़ एवं क्रय समिति के सदस्य के उपस्थिति में अथवा प्रबंध संचालक द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की उपस्थिति एवं क्रय समिति सदस्य की उपस्थिति में प्रबंध संचालक कार्यालय में निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने की समय की जानकारी निविदा में दी गई है। सभी निविदाकार उक्त समय पर निविदा को ऑनलाईन देख सकेंगे।
- 6.4.2 सर्वप्रथम निविदा के भाग-1 में जमा अमानत राशि के दस्तावेज को खोलकर मूल्यांकन किया जाएगा। यदि निविदाकार ने अमानत राशि की आवश्यक मात्रा कारखाना के निर्धारित बैंक खाते में जमा की है या निविदाकार की पूर्व में जमा अमानत राशि को निविदा में स्वीकार करने पर एवं हस्तांतरण के पात्र होने पर विक्रेता निविदा के भाग-1 में पात्र माना जायेगा। भाग-1 में पात्र विक्रेता की निविदा के भाग-2 को खोला जायेगा। अपात्र निविदाकार के भाग-2 को नहीं खोला जायेगा।
- 6.4.3 निविदा के भाग-1 में पात्र निविदाकारों के निविदा के भाग-2 तकनीकी भाग को खोला जायेगा। तकनीकी भाग में मांगी गई सभी जानकारी से सम्बंधित दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी भाग में पात्र निविदाकारों की सूची तैयार की जायेगी। तकनीकी भाग में पात्र निविदाकारों का वाणिज्यिक भाग खोला जायेगा।
- तकनीकी भाग में निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी झूठी गलत पाये जाने पर क्रय समिति निविदाकार/विक्रेता की निविदा को अस्वीकार कर सकता है।
- 6.4.4 निविदा दस्तावेज खरीदने वाले विक्रेता/निविदाकार की जमा की गई निविदा को स्वीकार किया जायेगा। स्थानांतरित निविदा दस्तावेज को अस्वीकार किया जायेगा।

- 6.4.5 क्रय समिति को न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार से बातचीत कर न्यूनतम दर कटौती करने का अधिकार होगा। क्रय समिति के द्वारा निविदा स्वीकार करने के बाद विक्रेता/निविदाकार को निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 6.4.6 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों को स्वीकार करना या दरों में कटौती करना या उक्त सामग्री/सेवाकार्य को पुनः निविदा जारी के संबंध में निविदा स्वीकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 6.5 निविदा मूल्यांकन
- 6.5.1 कारखाने की वेबसाइट से ऑनलाईन निविदा पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर, प्राप्त कर कारखाने की वेबसाइट पर जमा किये गये निविदा प्रपत्र का सर्वप्रथम भाग -1 में विक्रेता द्वारा आवश्यक अमानत राशि जमा करने का प्रपत्र जमा करना होगा एवं पात्र पाये जाने पर भाग-2 खोला जायेगा।
- 6.5.2 यदि आवश्यक अमानत राशि नहीं होने पर निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी। भाग -1 में पात्र निविदाकार को निविदा के भाग -2 तकनीकी भाग को खोला जायेगा तथा भाग-2 में पात्र निविदाकार के निविदा के भाग-3 वाणिज्यिक भाग को खोला जायेगा। निविदा के भाग-2 में अपात्र निविदाकार के भाग-3 को नहीं खोला जायेगा तथा निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 6.6 निविदा की स्वीकृति या वापसी के नियम
- 6.6.1 क्रय समिति बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/निरस्त कर सकती है। अस्वीकृत या निरस्त निविदा का कोई दायित्व क्रय समिति पर नहीं होगा। निविदाकार अस्वीकृत/निरस्त के संबंध में संवाद नहीं करेगा।
- 6.6.2 निविदा स्वीकार करने के बाद निविदाकार अपनी निविदा को वापस नहीं ले सकेगा और न ही निविदा दरों में बढ़ोतरी कर सकेगा।
- 6.6.3 अपूर्ण, अस्वच्छ भरी गई एवं अपूर्ण अमानत राशि की निविदाओं को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 6.6.4 निविदाकार को प्रत्येक श्रेणी के पूर्व निर्धारित योग्यता मानदंड के अनुसार निविदा के प्रत्येक भाग के दस्तावेजी साक्ष्य स्वहस्ताक्षरित एवं मुहर सहित क्रम से प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी भाग में दस्तावेजी साक्ष्य न होने पर निविदाकार की निविदा को निरस्त कर दी जायेगी।
- 6.6.5 निविदाकार द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत/काल्पनिक पाये जाने पर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित करने की कार्यवाही किया जा सकेगा।
- 6.6.6 निविदाकार/विक्रेता के द्वारा निविदा में दी गई सभी सामग्री/सेवाकार्य की उचित/व्यावहारिक दर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा में दी गई दरों को सामग्री की आपूर्ति तक मान्य होगी। जिसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी की मांग नहीं करेगा।
- 6.6.7 क्रय समिति को निविदा में प्रस्तुत दरों को बातचीत (नेगोसिएशन) के द्वारा कम करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 6.6.8 कारखाना प्रबंधन कारखाने में सामग्री की आवश्यकता की मात्रा को कम/अधिक या शून्य कर सकता है। कारखाना प्रबंधन निविदा में की गई सामग्री की मात्रा को क्रय करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 6.7 ईएमडी राशि के जब्तकरण के कारण
निविदाकार/विक्रेता के द्वारा निविदा में गलत/झूठी जानकारी/अपमानित दस्तावेजी साक्ष्य के जमा करने पर क्रय समिति पूर्ण/आंशिक ईएमडी राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है तथा निविदा को निरस्त किया जायेगा।

6.8 सुरक्षा जमा राशि

- 6.8.1 विक्रेता द्वारा निविदा में निर्धारित कुल निविदादर का 3 प्रतिशत राशि कारखाने के बैंक खाते में RTGS/NEFT के द्वारा सुरक्षा राशि/ ईएमडी राशि जमा की जायेगी।
- 6.8.2 अमानत राशि जमा नहीं करने पर निविदाकार की निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ईएमडी राशि जमा होने पर ही निविदाकार को निविदा के भाग-2 के लिए पात्र होगा।
- 6.8.3 सफल निविदाकार को उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
- 6.8.4 सफल निविदाकार द्वारा उसकी निविदा के संबंध में जमा की गई सुरक्षा राशि, प्रबंध निदेशक के कार्यालय की संतुष्टि के अधीन अनुबंध अवधि के अंत में उसे वापस कर दी जाएगी।
- 6.8.5 सुरक्षा जमा को वापस किए जाने तक उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

6.9 सुरक्षा जमा की जब्ती

यदि सफल विक्रेता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है, किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके ऊपर उल्लेखित सुरक्षा जमा प्रबंध निदेशक के कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

6.10 समझौता

- 6.10.1 सामग्री आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/निविदाकार द्वारा समझौते के निष्पादन हेतु आवश्यक खर्च देय होंगे।
- 6.10.2 विक्रेता को अनुबंध में दी गई शर्तों का पालन करना होगा। अनुबंध में दी गई शर्तों के पालन न करने पर अनुबंध को समाप्त कर दिया जायेगा तथा प्रबंध संचालक/क्रय समिति कारखाने को होने वाले नुकसान/आर्थिक क्षति की भरपाई ईएमडी राशि जब्त कर करेगा।
- 6.11 निविदा का पूर्ण/आंशिक रूप में बांटना
निविदाकार/विक्रेता अनुबंध का लाभ/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को नहीं देगा तथा प्रबंध संचालक के लिखित अनुमति के बिना किसी फर्म/व्यक्ति को कम या अधिक मूल्य पर कार्य/सामग्री को निष्पादन हेतु नहीं देगा।
- 6.12 अनुबंध पूरा न करने पर जुर्माना और समाप्ति
निविदाकार द्वारा क्रय आदेश/निविदा में दी गई समयावधि/विस्तारित समयावधि में सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति नहीं करने पर में क्रय आदेश के अनुसार जुर्माना/दंड की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुबंध को रद्द कर कालीसूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।

6.13 फोर्स मेजर

अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में सामग्री/सेवाकार्य की समय से आपूर्ति के लिए निविदाकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जैसे:-

- 1) भूकंप, बाढ़ और महामारी सहित प्राकृतिक घटनाएं।
- 2) घरेलू/विदेशी घोषित/अघोषित युद्ध/सरकारी प्राधिकरण के नियमों के कारण
- 3) आग और विस्फोटक/अन्य दुर्घटनाओं के व्यवधान से।
- 4) सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति हेतु परिवहन की समस्त जिम्मेदारी/जोखिम के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

6.14 वस्तुओं का परीक्षण

शक्कर कारखाने किसी भी प्रतिष्ठित परीक्षण प्रयोगशाला से सामग्री के नमूने का परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होंगे और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा (यदि आवश्यक हो)। यदि

मदों/सामग्री के नमूने अवमानक या विनिर्देशों से नीचे पाए जाते हैं, तो चीनी कारखाने के पास आपूर्ति की गई सामग्री/वस्तुओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

6.15 कानूनी कार्यवाही के लिए क्षेत्राधिकार

इस संबंध में कोई भी वाद या कार्यवाही उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद के न्यायालय में ही संस्थित की जायेगी। किसी अन्य न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं होगा, भले ही कार्रवाई के कारण का कोई भी भाग ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हो ।

7. विशेष नियम और शर्तें

7.1 पात्रता मानदंड

निविदाकारों को निविदा सूचना के भाग I के खंड 1 में उल्लिखित सभी पूर्व शर्तों को पूरा करना होगा।

7.2 मूल्यांकन मानदंड

सामग्री/सेवाकार्य के मूल्य पर पूर्व शर्तों के अलावा मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित को भी ध्यान में रखा जाएगा।

क) निविदाकार सेवाकार्य के लिए प्रशिक्षित श्रमिक एवं उनको प्रदाय की गई सुविधाओं के संबंध में सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

ख) निविदाकार के पास किसी सेवाकार्य/सामग्री आपूर्ति का पूर्व में अनुभव है, तो निविदा प्रपत्र में अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ग) विक्रेता/आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्टेड/दिवालिया नहीं होना चाहिए।

7.3 सामग्री/सेवाकार्य आपूर्ति

7.3.1 निविदाकार सामग्री/सेवाकार्य हेतु निविदा दस्तावेज/क्रय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

7.3.2 निविदाकार को सामग्री/सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है।

7.3.3 निविदाकार की रखरखाव सेवा, मामूली या प्रमुख प्रतिस्थापन आदि की जिम्मेदारी होगी।

7.3.4 कारखाना क्रय समिति के पास अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है यदि निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति/सेवाकार्य का उपयोग किया जाता है या सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति में देरी होती है। आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति में देरी करते हैं और तय कीमत से अधिक कीमत की मांग करने पर क्रय आदेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा कारखाने को होने वाली क्षति की भरपाई निविदाकार के अमानत राशि को कांटकर वसूली की जायेगी ।

7.3.5 यदि निविदाकार द्वारा निविदा में दिये गये नियम शर्तों एवं न्यूनतम मूल्य के अनुसार सामग्री/सेवाएं उपलब्ध न कराने पर निविदा में शामिल द्वितीय न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार से संबंधित सामग्रियों/सेवाकार्य क्रय करने के लिए क्रय समिति के पास अधिकार सुरक्षित होगा।

7.4 अन्य शर्तें

7.4.1 कारखाने के कोई भी मशीनरी संबंधित अधिकारियों की अनुमति से संचालित होंगे। मरम्मत कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अन्य हानि के लिए विक्रेता/आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।

- 7.4.2 अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का मूल्य संशोधन या मूल्य में वृद्धि नहीं की जायेगी।
- 7.4.3 प्रबंध संचालक/क्रय समिति आपूर्ति की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 7.4.4 निविदाकार को छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में शामिल होने पर निविदा में अपात्र किया जाएगा। निविदाकार को उक्त संबंध में निविदा फार्म में नीचे दर्शित सत्यनिष्ठ वचन को भरकर हस्ताक्षर व मुहर सहित तकनीकी भाग के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 7.5 आपूर्ति और जुर्माना
1. निविदा की शर्तों के अधीन अनुबंध/क्रय आदेश में निर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार पूर्णता सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति नहीं करने पर कुल अनुबंध मूल्य पर 1% प्रति सप्ताह या उसके भाग की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
 2. प्रबंध संचालक का कार्यालय नियत समय में निविदा कार्य पूर्ण नहीं करने पर बिना किसी सूचना के पूरे आदेश को रद्द कर सकता है व कारण की गंभीरता के अनुसार क्रय समिति निविदाकार/विक्रेता को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा ईएमडी/सिक्योरिटी राशि को जब्त किया जा सकता है।
 3. यदि सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति निविदा/क्रय आदेश में निर्धारित समय अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं की जाती है, तो खरीदार/कारखाना आपूर्तिकर्ता की लागत और व्यय पर सामान वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अन्य स्रोतों से समान/सेवाकार्य की आपूर्ति की व्यवस्था में किए गए सभी नुकसानों की वसूली निविदाकार/विक्रेता से करेगा तथा कारखाने द्वारा अन्य विक्रेता से क्रय की गई सामग्री के सभी खर्चों के साथ अंतर राशि को निविदाकार से वसूला जायेगा।
- 7.6 वितरण योग्य
- आवश्यक सामग्री/सेवाओं को निविदा/क्रय आदेश में निर्दिष्ट अनुसार आपूर्ति किया जाएगा।
- 7.7 सामग्रियों की आपूर्ति एवं सेवाएं कार्य कार्यादेशानुसार समयावधि में आपूर्ति/पूर्ण करना होगा।
- 7.8 सेवाएं कार्य हेतु कार्य पूर्णता पश्चात् कार्य संतुष्टि हेतु विभागाध्यक्ष एवं तकनीकी अधिकारियों का सेवाएं प्रदाता के MOU साथ के पश्चात् ही भुगतान की प्रक्रिया होगी।
- 7.9 सामग्रियां/सेवाएं समयावधि पर आपूर्ति एवं सेवाएं नहीं देने अथवा कार्य/क्रयादेश अनुरूप नहीं होने या उससे संस्था को क्षति होने पर पर्याप्त सूचना पत्र देने पश्चात् संस्था को क्षति पहुंचाने/कार्य को प्रभावित करने के लिए वैधानिक/प्रशासनिक/ईएमडी जब्त/काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- 7.10 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संस्था हित में सामग्री आपूर्ति/सर्विस कार्य के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

8. प्रबंधन/क्रय कमेटी का अधिकार

01. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/नेगोशिएसन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
02. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/क्रय कमेटी की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
03. निविदा में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों में किसी भी बिंदु को आवश्यकतानुसार विलोपित अथवा कोई नया शर्त जोड़ने का अधिकार होगा।
04. निविदा में किसी भी सामग्रियों की संख्या अथवा मेक में परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा।
05. आवश्यकता अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति/सेवाएं निविदा में न्यूनतम दर प्राप्त फर्मों के अतिरिक्त किसी अन्य फर्मों से भी क्रय करने/कार्य कराने का एकाधिकार होगा।
06. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की मात्रा का क्रय आदेश जारी एवं आपूर्ति उपरांत पुनः नवीन मात्रा के लिए क्रय आदेश जारी करने का अधिकार होगा।
07. पूर्व में संस्था में कार्यरत फर्म यदि निविदा में भाग लेते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में प्रदाय सामग्री/कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संबंधित फर्म का निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंधन/क्रय कमेटी का होगा। जिसके लिए फर्म को संस्था द्वारा लिखित सूचना जारी करना आवश्यक नहीं होगा।

9. भुगतान खंड

1. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता के द्वारा सामग्री/सेवा की आपूर्ति के साथ संबंधित बिल प्रस्तुत करना होगा।
2. अग्रिम भुगतान निविदा दस्तावेज के नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा और शेष सामग्री जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. भुगतान कारखाने के तकनीकी अधिकारियों के संतुष्ट होने पर ही किया जायेगा।
4. कारखाने की वित्तीय स्थिति के अनुसार भुगतान एक या अधिक किस्तों में किया जा सकता है।
5. निविदाकार द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्री/सेवाकार्य का कम वजन/कम मात्रा के अनुपात में कम कीमत/मूल्य/राशि को घटाकर भुगतान किया जायेगा।
6. विलंबित आपूर्ति के मामले में, क्रय आदेश/निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार हर्जाने की कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
7. यदि परिस्थितिवश प्रस्तुत देयक भुगतान में विलंब होता है तो निविदाकार द्वारा किसी भी प्रकार का ब्याज राशि का दावा नहीं किया जावेगा।

10. वारंटी और गारंटी
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक—170477/DMSKM/P-O-/BALOD,

दिनांक— 10/07/2025

1. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई प्रत्येक सामग्री/सेवाकार्य की कारीगरी सभी दोषों और चूक से मुक्त होगी तथा क्रय आदेश/निविदा दस्तावेज के अनुसार सामग्री/सेवाकार्य स्वीकृत मानक के अनुरूप प्रदाय करने की जिम्मेदारी होगी।
2. निविदाकार/विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य के गुणवत्ता की 12 माह की गारंटी/वारंटी होगी तथा कारखाने की तकनीकी समिति को, सामग्री/सेवाकार्य की गुणवत्ता की जांच कर गुण दोष का मूल्यांकन कर सामग्री/सेवाकार्य को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा।
3. आपूर्ति किये गये सामग्रियों में किसी भी प्रकार के दोष/कमी होने पर सामग्री को बदलवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता की होगी। कारखाने द्वारा चाही गई सामग्री को बदलकर उपलब्ध कराने के लिए निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता भारत के किसी अन्य क्षेत्र व संस्था/निर्माता कंपनी से सामग्री लाने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। जिसके लिए कारखाना द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामग्री बदलवाने के लिए कारखाने से निकासी रसीद की तारीख से प्रबंधन द्वारा दी गई समयावधि के भीतर बदलवाई गई सामग्री निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदाकार को सामग्री का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. निविदाकार द्वारा पहली बार सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति के पश्चात् दोषपूर्ण सामग्री को बदलवाने हेतु गारंटी/वारंटी के नियम व शर्तें कारखाना द्वारा सूचित किये जाने की तिथि से लागू होंगे।
5. निविदाकार द्वारा दोषपूर्ण सामग्री दिये जाने पर बदलवाने/मरम्मत के लिए कारखाने से बाहर ले जाने हेतु कारखाने द्वारा सहमति दी जायेगी किंतु निविदाकार को कारखाने के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति/गारंटी प्रपत्र (बांड) दिया जाना होगा।
6. निविदाकार दोषपूर्ण सामग्री को दिए गए समयावधि में बदलकर उपलब्ध कराने में असफल होता है तो निविदा/क्रय आदेश के नियमों अनुसार जुर्माने/दण्ड का स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि उक्त समयावधि क्रय आदेश में दी गई समयावधि तक और सामग्री उपलब्ध नहीं होने पर क्रय कमटी को यह अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता को भुगतान किये जाने वाली अन्य राशि, अमानत राशि से क्षति/हानि की कटौती/वसूली कर सकेगा।
7. निविदा में चाही गई सामग्रियों हेतु निर्माता कंपनी के द्वारा सामग्री में किये गये दोष/कमियों के लिए निविदाकर्ता उत्तरदायी होगा।
8. यह गारंटी/वारंटी नियम उन सामग्रियों के लिए लागू नहीं होती जिन्हें बदलवाने/मरम्मत के लिए कारखाने से बाहर जाने के लिए कारखाने द्वारा निविदाकर्ता को लिखित सहमति नहीं दी गई है। ऐसे किसी भी सामग्री से होने वाले दुरुपयोग, लापरवाही और दुर्घटना के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं होगा।
9. गारंटी/वारंटी के नियमों व शर्तों के अनुसार सामग्रियों की लागत, ताकत, क्षमता एवं सभी दायित्वों के लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा।
10. एक पेराई सत्र 2025-26 में सामग्री के किसी भी प्रकार के दोष के लिए पूर्णतः निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

11. अनुबंध का रूप
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक—170477/DMSKM/P-O-/BALOD,

दिनांक— 10/07/2025

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

महोदय,

1. यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 01 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा। यदि निविदाकार अनुबंध अवधि में अनुबंध तथा निविदा के नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है। तब क्रय समिति/प्रबंध संचालक कारखाना अनुबंध को निविदाकार के खर्च एवं लागत पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
2. निविदाकार अनुबंध अवधि में निविदा के द्वारा निर्धारित सामग्रियों की आपूर्ति/सेवाकार्य की आपूर्ति करेगा तथा सामग्री/सेवाकार्य की निर्धारित दरों में 01 वर्ष में वृद्धि नहीं की जायेगी।
3. इस अनुबंध में वर्णित अनुबंध की दर में किराया—भाड़ा, चुंगी, बीमा, स्थापना परिवहन और कमीशनिंग शुल्क और ऐसे अन्य शुल्क शामिल हैं जो समय—समय पर लागू हो सकते हैं।
4. इस अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएं या सामग्री निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट गुणवत्ता और प्रकार की होनी चाहिए।
5. निविदा में सम्मिलित सामग्री/सेवाकार्य को निविदा में निर्धारित की गई सामग्री/सेवाकार्य की दर पर कारखाना स्थल दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद में सामग्री पहुंचाने/सेवाकार्य करने पर मान्य होगी अर्थात् कारखाना स्थल पर पहुंचाने का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
6. विक्रेता द्वारा प्रदाय की गई सामग्री/सेवाकार्य क्रय आदेश/उचित मानक के अनुरूप नहीं होने पर क्रय समिति को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध निरस्त होने पर अनुबंध का जोखिम जैसे:—सामग्री/सेवाकार्य के समय/उचित मानक के अनुसार न होने पर होने वाली आर्थिक क्षति को निविदाकार की अमानत राशि से कटौती कर भरपाई की जायेगी।
7. विक्रेता/आपूर्तिकर्ता केवल मानक गुणवत्ता वाली सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति करेगा।
8. निविदाकार द्वारा विक्रय/प्रदाय की गई सामग्री की निर्माण में दोष/खराब कारीगरी न होने की गारंटी निविदाकार की होगी।
9. निविदाकार द्वारा किसी भी सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति में असमर्थता या असफल होने पर या क्रय आदेश में निर्देशित समयावधि पर सामग्री उपलब्ध न कराने पर कुल सामग्री के मूल्य पर 1% प्रति सप्ताह के आधार पर जुर्माना दंड किया जायेगा व उक्त कृत्य के लिए संबंधित निविदाकार का क्रय आदेश रद्द कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।

10. निविदाकार द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री/सेवाकार्य में किसी भी प्रकार की निर्माण में कमी या खराबी होने पर निविदाकार द्वारा कारखाना क्रय समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में ही बदलना होगा जिसमें होने वाले व्यय को ही निविदाकार द्वारा ही वहन किया जायेगा।
11. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा कारखाने में आपूर्ति की गई सामग्रियों की जांच कारखाने द्वारा गठित तकनीकी जांच टीम के द्वारा की जायेगी। तकनीकी जांच टीम द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को क्रय करने हेतु कारखाना बाध्य नहीं होगा व निविदाकार को स्वयं के व्यय पर अस्वीकृत सामग्रियों को वापस लेना होगा। यदि निविदाकार द्वारा अस्वीकृत सामग्रियों को 15 दिवस के भीतर वापस नहीं लेता है तो सामग्री के प्रति कारखाने की कोई जवाबदारी नहीं होगी एवं सामग्री में होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए निविदाकार कारखाने में दावा (क्लेम) नहीं कर सकता। यदि अस्वीकृत सामग्री को निविदाकार 90 कार्य दिवस में वापस नहीं ले जाता जो सामग्री के कुल मूल्य का 1 प्रतिशत रखरखाव चार्ज लिया जा सकता है।
12. किसी निविदाकार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री पिछले दो सत्रों में अस्वीकृत/अमान्य किया गया है। तब उस निविदाकार को वर्तमान निविदा में उसी सामग्री में अमान्य माना जायेगा।
13. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा में दी गई सामग्रियों/सेवाकार्य का न्यूनतम दर निविदाकार को क्रय आदेश में दी गई समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। क्रय आदेश में दी गई समय सीमा के बाद सामग्री/सेवाकार्य को कारखाना क्रय समिति/प्रबंधन के द्वारा अस्वीकृत कर दी जायेगी अर्थात् क्रय आदेश में दी गई समय सीमा में सामग्री की आपूर्ति न होने पर कारखाना प्रबंधन सामग्री को लेने के लिए बाध्य नहीं होगा।
14. निविदा में दी गई सामग्री/सेवाकार्य की मात्रा कारखाना की आवश्यकता अनुसार कम/अधिक/शून्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुनिश्चित होगा। सामग्री/सेवाकार्य की न्यूनतम दर प्राप्त निविदाकार सामग्री/सेवाकार्य को क्रय करने को बाध्य नहीं करेगा।
15. निविदा में किसी सामग्री/सेवाकार्य की प्राप्त न्यूनतम दर क्रय समिति के मतानुसार अधिक होने पर निविदा में भाग लेने वाले पक्षकारों से क्रय समिति दरों में नेगोशिएसन (मोलभाव) कर न्यूनतम दर तय कर सकता है, जिसे सभी निविदाकारों को मान्य होगा।
16. इस अनुबंध के तहत निविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए सामग्रियों का निर्माता नहीं होने पर भी सभी सामग्रियों/सेवाकार्यों के लिए गारंटी का उत्तरदायी (जिम्मेदार) होगा।
17. निविदा में चाही गई सामग्रियों के क्रय हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा।
18. निविदा या निविदा में किसी भी प्रकार की भागीदारी, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से बिना प्रबंध संचालक के लिखित सहमति के मान्य नहीं होगी।
19. अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में सामग्री/सेवाकार्य की समय से आपूर्ति के लिए निविदाकार की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। जैसे:-
 - 1) भूकंप, बाढ़ और महामारी सहित प्राकृतिक घटनाएं।
 - 2) घरेलू/विदेशी घोषित/अघोषित युद्ध/सरकारी प्राधिकरण के नियमों के कारण
 - 3) आग और विस्फोटक/अन्य दुर्घटनाओं के व्यवधान से।
 - 4) सामग्री/सेवाकार्य की आपूर्ति हेतु परिवहन की समस्त जिम्मेदारी/जोखिम के लिए निविदाकार जिम्मेदार होगा।

20. इस अनुबंध की अवधि में यदि आवश्यक हो तो विक्रेता/निविदाकार कोई सलाह/परामर्श/प्रार्थना पत्र देना चाहे तो कारखाने के ई-मेल आईडी या पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रबंध संचालक को दे सकता है तथा कारखाना क्रय समिति/प्रबंध संचालक को यदि आवश्यक हो तो नियम व शर्तों या अन्य सुधार हेतु निविदाकार को मेल या कारखाने के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजकर सूचित करेगा। जो निविदाकार को मान्य होगा।
21. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता को कारखाने द्वारा किसी भी प्रकार के लिखित नोटिस/सूचना पत्र निविदाकार द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाता है तो उसे निविदाकार को विधिवत दिया गया माना जायेगा।
22. किसी भी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद सहकारी क्षेत्र का सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा। जिसका निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
23. निविदा अनुबंध के दौरान निविदाकार/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी नियम व शर्तों के उल्लंघन करने पर होने वाले व्यय व देनदारियों को वसूल करने का एवं अनुबंध/क्रय आदेश को रद्द करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदा के सेवाकार्यों में लगे किसी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष श्रमिकों के वेतन, ईएसआई, पी.एफ. आदि श्रम कानूनों के वैधानिक दायित्वों की जिम्मेदारी, निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता की होगी।
25. निविदा सामग्री/सेवाकार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की अकास्मिक क्षति, आग लगना व चोरी होना, के जाखिम की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार/आपूर्तिकर्ता की होगी।
26. निविदाकार/आपूर्तिकर्ता को सेवाकार्य में लगे श्रमिकों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को करनी होगी एवं श्रमिकों की उपस्थिति, छुट्टी व उनके द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी (रिपोर्ट) कार्यालय में उपस्थित करनी होगी।
27. निविदाकार द्वारा सेवा कार्यों में लगे श्रमिकों को किसी भी प्रकार के लाभ व अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं होगी। श्रमिकों के द्वारा कारखाने में सेवाकार्य के दौरान व्यवहार कुशल होना होगा, जिसकी जिम्मेदारी निविदाकार/आपूर्तिकर्ता की होगी।
28. निविदा अनुबंध व सामग्री/सेवाकार्य में किसी भी प्रकार चूक/लापरवाही होने पर कारखाने को होने वाले नुकसान, क्षति, व्यय, लागत आदि का वहन (भरपाई) निविदाकार को करनी होगी।
29. निविदा अनुबंध (दस्तावेज) के सभी नियम व शर्त निविदाकार द्वारा मान्य/स्वीकार होंगे।
30. मैं/हम कारखाने के निविदा सं संबंधित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करते हुए क्रय/कार्य आदेश के आधार व मानक पर सामग्री/सेवाकार्य प्रदाय करने के लिए सहमत हैं।
31. मेरे/हमारे द्वारा निविदा के समस्त नियम व शर्तों को ठीक से पढ़ व जांच लिया है।
32. मैं/हम निविदा की सामग्री/सेवाकार्य को प्रदाय करने हेतु अपना/हमारा दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।
33. मैंने/हमने निविदा में आपकी संस्था (कारखाने) के द्वारा नियम व शर्तों के आधार पर चाही गई हमारी संस्था (फर्म) की वैधानिक दस्तावेज, अधिकृत प्रमाण पत्र, आयकर संबंधी प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों को संलग्न (अपलोड) किया है।
34. मैं/हम निविदा के प्रावधानों से सहमत है जिसमें अनुबंध के नियम व शर्त भी शामिल है एवं मैं/हम निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों व नियम शर्तों के आधार पर ही सामग्री/सेवाकार्यों हेतु दर प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

35. मैं/हम सहमत निविदा के नियम व शर्तों के आधार पर ईएमडी राशि की जब्ती/दण्ड होने पर स्वीकार है एवं मेरे/हमारे द्वारा किसी प्रकार का दावा नहीं किया जायेगा।
36. यह अनुबंध केवल सहकारी संस्थाएं बालोद के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।

नाम:.....

पद का नाम:—.....

आपूर्तिकर्ता की आधिकारिक मुहर

12. निविदा दर वैधता पत्र
(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक—170477/DMSKM/P-O-/BALOD,

दिनांक— 10/07/2025

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी कारखाना मर्यादित बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

महोदय,

हम यहां प्रमाणित करते हैं कि हमारी निविदा कीमत निविदा की तारीख से 12 महीने तक वैध है।

नाम:—.....

पद का नाम:—.....

आपूर्तिकर्ता की आधिकारिक मुहर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) 1250 टीसीडी शक्कर कारखाना के लिए अनाधिकृत (मेक) मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल सामग्रीयों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

भाग-II तकनीकी भाग (भाग-बी)

प्रबंध संचालक,
DMSSKM— बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

भाग – II तकनीकी भाग (भाग-बी)

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करें)

द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक—170477/DMSKMB/P-O-/BALOD,

दिनांक— 10/07/2025

निविदा दस्तावेज संख्या:

1. विक्रेता का विवरण

1.1 संगठन का नाम और स्थान.....

1.2 मालिक / मालिक का नाम.....

1.3 संगठन की प्रकृति.....

यहां टिक करें – सरकार * सार्वजनिक * निजी * साझेदारी * स्वामित्व *

1.4 कार्यालय का पता –.....

टेलीफोन नंबर—.....

ईमेल:—.....

1.5— संपर्क व्यक्ति का पता—:.....

टेलीफोन नंबर:—.....

ईमेल:—.....

वेबसाइट:—.....

1.6 पंजीकरण –

पैन नंबर —:

जीएसटी –.....

फोन नंबर—.....

ईमेल —.....

वेबसाइट—.....

1.7 बैंक विवरण और पता –

अ)

ब)

1.8 कंपनी के पिछले 02 वर्षों का आयकर रिटर्न

(अ) 2022—23

(ब) 2023—24

नीचे उल्लेखित दस्तावेज— (अधिकृत डीलर के लिए)

अ) साझेदारी समझौता (यदि आवश्यक हो)

ब) निगमन का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

1.9 कुल निविदा राशि

ईएमडी राशि 3%.....

3. ईएमडी का विवरण संलग्न—

i) अंतरण की राशि:—.....

ii) यूटीआर संख्या और तारीख:—.....

iii) बैंक का नाम:—.....

vi) अन्य विवरण :—.....

यदि यह एक से अधिक राशि स्थानांतरित कर रहा है, तो कृपया इसका उल्लेख करें—

क्र.सं. यूटीआर दिनांक राशि (रु.) बैंक का नाम

1.

2.

3.

4.

5.

कुल राशि:—.....

नोट:— तकनीकी बोली में आवश्यक ईएमडी के बिना निविदाएं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

4. वाणिज्यिक बोली पर घोषणा

मैं/हम सहमत हैं कि निविदा खोलने की तारीख से कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए खुला रहेगा और उसके बाद जब तक निविदा खोलने के अधिकार को विधिवत संबोधित लिखित नोटिस द्वारा हमारे द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाता है और भेजा जाता है। पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या अन्यथा प्राधिकरण के कार्यालय में वितरित किया गया।

मैं/हम निविदा के साथ संलग्न विशेष नियम और शर्तों, सामान्य नियम और शर्तों और भुगतान खंड से सहमत हैं और इन शर्तों का पालन करेंगे। मैं/हम घोषणा करते हैं कि वाणिज्यिक बोली बिना किसी शर्त के प्रस्तुत की गई है और पूरी तरह से निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की गई है और मैं/हम जानते हैं कि वाणिज्यिक बोली को अस्वीकार किया जा सकता है यदि इसमें कोई अन्य शर्त शामिल हैं।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि निविदा में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि कोई झूठी/काल्पनिक जानकारी पाई जाती है तो मैं/हम विक्रेता की अस्वीकृति के लिए सहमत हूँ/हैं।

निविदाकार हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम:—.....

फर्म का नाम और पता :—.....

फोन नंबर:—.....

ईमेल :—.....

दिनांक और कार्यालय मुहर:—

1. साधारण

- 1.1. यह प्री-बिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट (इसके बाद इंटेग्रिटी पैक्ट कहा जाता है) महीने के को छत्तीसगढ़ सरकार के बीच श्री के माध्यम से किया जाता है। (कार्यालय का पदनाम, विभाग) छत्तीसगढ़ सरकार (इसके बाद "क्रेता" कहा जाता है, जिस अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो) की आवश्यकता है, कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी और असाइन किए गए) और प्रथम पक्ष, (स्टोर/उपकरण/कार्य/सेवा का नाम) की खरीद का प्रस्ताव करता है और मैसर्स श्री द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (इसके बाद "विक्रेता/विक्रेता" कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, उसके उत्तराधिकारी अनुमत समनुदेशिनी हों) और दूसरा पक्ष, इसके लिए तैयार है प्रस्ताव / की पेशकश की है।
- 1.2. जबकि बोली लगाने वाला एक निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/सरकारी उपक्रम/साझेदारी/पंजीकृत निर्यात एजेंसी है, जो इस मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार गठित है और खरीदार सरकार का एक मंत्रालय/विभाग है, जो सरकार की ओर से अपना कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ का।

2. उद्देश्य

- अब, इसलिए, खरीदार और विक्रेता इस पूर्व-अनुबंध समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं, इसके बाद एक निष्पक्ष, पारदर्शी और किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त एक प्रणाली का पालन करके भ्रष्टाचार के सभी रूपों से बचने के लिए अखंडता संधि के रूप में संदर्भित किया गया है। निम्नलिखित की दृष्टि से किए जाने वाले अनुबंध के लिए, उसके दौरान और उसके बाद –
- 2.1. उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचने के द्वारा परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर खरीदार को वांछित स्टोर/उपकरण/कार्य/सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाना, और
- 2.2. अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए विक्रेताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल होने से रोकने में सक्षम बनाना, उन्हें आश्वासन देकर कि उनके प्रतिस्पर्धी भी किसी भी भ्रष्ट प्रथाओं को रिश्वत देने से दूर रहेंगे और खरीदार किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा। पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके।

3. खरीदार की प्रतिबद्धता

खरीदार खुद को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करता है—

- 3.1. क्रेता यह वचन देता है कि अनुबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े क्रेता का कोई भी अधिकारी, प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के माध्यम से किसी भी रिश्वत, विचार, उपहार, इनाम, एहसान या किसी सामग्री या सारहीन लाभ या किसी भी प्रकार की मांग नहीं करेगा, इसके लिए वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध या अनुबंध से संबंधित कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में विक्रेता से अन्य लाभ, या तो खुद के लिए या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष के लिए।
- 3.2. खरीदार, पूर्व-अनुबंध चरण के दौरान, विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार करेगा, और सभी विक्रेताओं को समान जानकारी प्रदान करेगा और किसी विशेष को ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करेगा। विक्रेता जो अन्य विक्रेताओं की तुलना में उस विशेष विक्रेता को लाभ दे सकता है।

- 3.3. खरीदार के सभी अधिकारी उपयुक्त सरकारी कार्यालय को उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघन के साथ-साथ इस तरह के उल्लंघन के किसी भी संदेह के बारे में सूचित करेंगे। यदि ऐसे किसी पूर्ववर्ती कदाचार की सूचना विक्रेता द्वारा क्रेता को पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ दी जाती है और वही प्रथम दृष्टया क्रेता द्वारा सही पाया जाता है, तो आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही, या कोई अन्य कार्रवाई जैसा उचित समझा जाए, आपराधिक कार्यवाही सहित खरीदार द्वारा शुरू किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के व्यवहार से वंचित किया जाएगा। ऐसे मामले में जब खरीदार द्वारा जांच की जा रही है तो अनुबंध के तहत कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा।
4. बोली लगाने वालों की प्रतिबद्धता
- विक्रेता भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है, अनुचित मतलब अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या किसी पूर्व-अनुबंध या अनुबंध के बाद के चरण के दौरान अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए या इसे सुरक्षित करने के लिए विशेष रूप से खुद को निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध करें—
- 4.1 विक्रेता सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से, किसी भी रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, एहसान, किसी भी सामग्री या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली या प्रलोभन की पेशकश खरीदार के किसी भी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा। बोली प्रक्रिया, या अनुबंध से संबंधित किसी भी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को बोली, मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी भी लाभ के बदले में।
- 4.2 विक्रेता आगे यह भी वचन देता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, इनाम, पक्ष, कोई सामग्री या सारहीन लाभ या अन्य लाभ, कमीशन, शुल्क, दलाली, या किसी भी अधिकारी को प्रलोभन नहीं दिया है, देने की पेशकश या वादा नहीं किया है। क्रेता के या अन्यथा अनुबंध को प्राप्त करने या अनुबंध को प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में किसी भी कार्य को करने या करने के अनुबंध की खरीद में या सरकार के साथ किसी भी अन्य अनुबंध के संबंध में किसी भी व्यक्ति को पक्ष या विरोध दिखाने या मना करने के लिए अनुबंध या सरकार के साथ कोई अन्य अनुबंध।
- 4.3 विक्रेता आगे पुष्टि करता है और खरीदार को घोषणा करता है कि मूल निर्माण/इंटीग्रेटर/प्राधिकृत सरकारी प्रायोजित दुकानों में बोली लगाने वाला और किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को हस्तक्षेप करने, सुविधा देने या सिफारिश करने के लिए किसी भी तरह से भारतीय या विदेशी नहीं लगाया है। खरीदार या उसके किसी पदाधिकारी को, चाहे आधिकारिक तौर पर या अनौपचारिक रूप से बोली लगाने वाले को अनुबंध देने के लिए, और न ही किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी को ऐसी किसी भी मध्यस्थता के संबंध में कोई राशि का भुगतान, वादा या भुगतान करने का इरादा है, सुविधा या सिफारिश।
- 4.4 विक्रेता, या तो बोली प्रस्तुत करते समय या पूर्व-अनुबंध वार्ता के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, किसी भी भुगतान का खुलासा करेगा जो उसने किया है, खरीदार के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी के लिए प्रतिबद्ध है या करने का इरादा रखता है। अनुबंध के संबंध में अन्य मध्यस्थ और ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का विवरण।

- 4.5 बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन को कम करने के लिए विक्रेता अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ सांठगांठ नहीं करेगा।
- 4.6 विक्रेता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- 4.7 विक्रेता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा में निहित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्ताव और व्यावसायिक विवरण के संबंध में खरीदार द्वारा व्यावसायिक संबंधों के हिस्से के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी को दूसरों को पास नहीं करेगा। वाहक। विक्रेता उचित और पर्याप्त सावधानी बरतने का भी वचन देता है कि ऐसी कोई जानकारी प्रकट न हो।
- 4.8 विक्रेता पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना किसी भी अन्य तरीके से सीधे किसी भी शिकायत को देने से बचने के लिए प्रतिबद्ध है।
- 4.9 विक्रेता किसी भी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित कार्यों में से कोई भी कार्य करने के लिए उकसाएगा या भड़काने का कारण नहीं बनेगा।
5. पिछला अपराध
- 5.1 विक्रेता घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत के किसी भी सरकारी विभाग के साथ किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है। निविदा प्रक्रिया से विक्रेता के बहिष्करण को उचित ठहरा सकता है।
- 5.2 यदि विक्रेता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो विक्रेता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या अनुबंध, यदि पहले से ही दिया गया है, तो ऐसे कारण से समाप्त किया जा सकता है।
6. ईएमडी राशि
- 6.1 वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विक्रेता, निम्नलिखित में से किसी भी साधन के माध्यम से खरीदार के पास बयाना राशि/सुरक्षा जमा के रूप में आरएफपी में निर्दिष्ट राशि जमा करेगा।
 - (i) आरटीजीएस/एनईएफटी यूटीआर नं/.....
 - (ii) एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा एक निश्चित गारंटी, गारंटीकृत राशि के भुगतान का वादा (खरीदार) मांग पर तीन कार्य दिवसों के भीतर बिना किसी आपत्ति के और बिना खोज और कारण जो भी हो। खरीदार द्वारा भुगतान की मांग को भुगतान के निर्णायक प्रमाण के रूप में माना जाएगा।
 - (iii) कोई अन्य मोड या किसी अन्य साधन के माध्यम से (आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाना है)।
- 6.2 ईएमडी राशि/सुरक्षा जमा एक वर्ष की अवधि तक या वारंटी अवधि सहित विक्रेता और खरीदार दोनों की पूर्ण संतुष्टि के लिए संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण समापन तक वैध होगा, जो भी बाद में हो।
- 6.3 सफल विक्रेता के मामले में खरीद अनुबंध में प्रदर्शन बांड से संबंधित अनुच्छेद में एक खंड भी शामिल किया जाएगा कि के लिए मंजूरी के प्रावधान इस समझौते के उल्लंघन के लिए मंजूरी लगाने के लिए कोई कारण बताए बिना क्रेता द्वारा इसे जब्त करने के निर्णय के मामले में प्रदर्शन बांड की जब्ती के लिए उल्लंघन लागू होगा।

- 6.4 ईएमडी राशि जमा पर क्रेता द्वारा विक्रेता को उसकी मुद्रा की अवधि के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध
- 7.1 विक्रेता या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति या उसकी ओर से कार्य करने वाले (चाहे विक्रेता के ज्ञान के साथ या उसके बिना) उपरोक्त प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन, जहां भी आवश्यक हो, खरीदार को निम्नलिखित में से सभी या किसी एक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
- (I) बिना कोई कारण बताए या विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना पूर्व अनुबंध वार्ता को तुरंत बंद करना। हालांकि, अन्य बोली लगाने वालों के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
 - (II) ईएमडी राशि जमा (पूर्व-अनुबंध चरण में) और/या सुरक्षा जमा/निष्पादन बॉन्ड (अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद) को पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त करने के लिए, जैसा कि खरीदार द्वारा तय किया गया है और खरीदार को कोई भी असाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी इसलिए कारण।
 - (III) विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध को तुरंत रद्द करना, यदि पहले से ही हस्ताक्षर किए गए हैं।
 - (IV) खरीदार द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली के लिए, और भारतीय बोली लगाने वाले के मामले में प्रचलित प्रधान उधार दर से 2% अधिक ब्याज के साथ, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश से बोली लगाने वाले के मामले में 2% ब्याज के साथ। यदि किसी अन्य अनुबंध के संबंध में खरीदार से विक्रेता को कोई बकाया भुगतान देय है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उक्त राशि और ब्याज की वसूली के लिए भी किया जा सकता है।
 - (V) अग्रिम बैंक गारंटी और निष्पादन बॉण्ड/वारंटी बॉण्ड को भुनाने के लिए, यदि विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, ताकि खरीदार द्वारा पहले ही किए गए भुगतानों को ब्याज सहित वसूल किया जा सके।
 - (VI) विक्रेता और विक्रेता के साथ सभी या किसी भी अन्य अनुबंध को रद्द करने के लिए खरीदार को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके परिणामस्वरूप इस तरह के रद्दीकरण/निरस्तीकरण और खरीदार को भुगतान की जाने वाली राशि से कटौती करने का अधिकार होगा। विक्रेता को देय धनराशि।
 - (VII) विक्रेता को छत्तीसगढ़ सरकार की भविष्य की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित करना, जिसे आगे बोली लगाने वाले के विवेकाधिकार में बढ़ाया जा सकता है।
 - (VIII) विक्रेताओं द्वारा किसी बिचौलिए या एजेंट को इस समझौते के उल्लंघन में भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली के लिए या अनुबंध हासिल करने की दृष्टि से तोड़ा गया।
 - (IX) ऐसे मामलों में जहां क्रेता द्वारा बोली लगाने वाले के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे नहीं खोला जाएगा।
 - (X) यदि विक्रेता या विक्रेता का कोई कर्मचारी या विक्रेता की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, खरीदार के किसी भी अधिकारी से निकटता से संबंधित है, या वैकल्पिक रूप से, यदि किसी अधिकारी का कोई करीबी रिश्तेदार है विक्रेता की फर्म में क्रेता का वित्तीय हित/हिस्सेदारी है, इसका खुलासा विक्रेता द्वारा किया जाएगा।
- निविदा भरने का समय। शामिल ब्याज का खुलासा करने में कोई विफलता खरीदार को विक्रेता को किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना अनुबंध को रद्द करने का अधिकार देगी।

इस उद्देश्य के लिए 'शकरीबी रिश्तेदार' शब्द का अर्थ होगा जीवनसाथी चाहे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा हो या नहीं, लेकिन इसमें सक्षम अदालत की डिक्री या आदेश द्वारा सरकारी कर्मचारी से अलग किया गया जीवनसाथी शामिल नहीं है। बेटा या बेटी या सौतेला बेटा या सौतेली बेटी और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है, लेकिन इसमें एक बच्चा या सौतेला बच्चा शामिल नहीं है जो अब किसी भी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर नहीं है या जिसकी हिरासत से सरकारी कर्मचारी को वंचित किया गया है या किसी कानून के तहत कोई अन्य व्यक्ति, चाहे खून से या शादी से, सरकारी कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति से संबंधित हो और पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हो।

- (XI) विक्रेता, क्रेता के किसी भी कर्मचारी के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पैसे को उधार या उधार नहीं लेगा या किसी भी मौद्रिक लेनदेन या लेनदेन में प्रवेश नहीं करेगा, और यदि वह ऐसा करता है, तो क्रेता को रद्द करने का अधिकार होगा। विक्रेता के साथ अनुबंध और अन्य सभी अनुबंध। विक्रेता इस तरह के निरसन के परिणामस्वरूप क्रेता को हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और क्रेता विक्रेता को देय राशि (धन) से देय राशि को काटने का हकदार होगा।
- 7.2 इस आशय का क्रेता का निर्णय कि विक्रेता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोली लगाने वाले पर अंतिम और निर्णायक होगा। तथापि, विक्रेता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त मॉनिटर से संपर्क कर सकता है।
8. पतन खंड
- 8.1 विक्रेता यह वचन देता है कि यदि छत्तीसगढ़ सरकार या पीएसयू के किसी अन्य विभाग के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम कीमत पर समान उत्पाद/प्रणालियों या उप-प्रणालियों की आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और यदि यह किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि इसी तरह के उत्पाद/प्रणालियों या उप-प्रणालियों की आपूर्ति विक्रेता द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कम कीमत पर की गई थी, तो वही कीमत, बीते हुए समय के लिए देय छूट के साथ, वर्तमान मामले पर लागू होगी और यदि अनुबंध पहले ही समाप्त हो गया है, तो लागत में अंतर विक्रेता द्वारा खरीदार को वापस कर दिया जाएगा।
9. स्वतंत्र मॉनिटर
- 9.1 खरीदार इस समझौते के लिए स्वतंत्र मॉनिटर (इसके बाद मॉनिटर के रूप में संदर्भित) नियुक्त करेगा।
- 9.2 मॉनिटर्स का काम स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना होगा कि पार्टियां इस संधि के तहत दायित्वों का पालन करती हैं या नहीं और किस हद तक।
- 9.3 मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होंगे और अपने कार्यों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से निष्पादित करेंगे।
- 9.4 दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर्स को बैठक के कार्यवृत्त सहित परियोजना/खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार है। विक्रेता/उपठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए मॉनिटर संविदात्मक दायित्व के अधीन होगा।
- जैसे ही मॉनिटर नोटिस करता है या विश्वास करने का कारण है, इस समझौते का उल्लंघन करता है, वह खरीदार द्वारा नामित प्राधिकरण को सूचित करेगा।

सत्यनिष्ठ वचन

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/क्रय आदेश निरस्त कर सकती है एवं मैं/फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में नहीं है। उक्त जानकारी गलत होने पर कारखाना प्रबंधन को मुझे/फर्म को निविदा से अपात्र करने का अधिकार होगा। शक्कर कारखाना द्वारा निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है।

दिनांक

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

फर्म का मुहर

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) 1250 टीसीडी शक्कर कारखाना के लिए अनाधिकृत (मेक) मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल सामग्रीयों के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

भाग-III वाणिज्यिक भाग (भाग-सी)

प्रबंध संचालक,
DMSSKM – बालोद
जिला बालोद (छ.ग.)

भाग – III वाणिज्यिक भाग (भाग-सी)

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करें)

द्वितीय निविदा सूचना क्रमांक-170477 / DMSSKM/PO/Balod,

दिनांक- 10 / 07 / 2025

निविदा दस्तावेज संख्या –

- 1.1 निविदाकार का विवरण.....
- 1.2 संगठन का नाम और स्थान.....
- 1.3 मालिक / मालिक का नाम.....
- 1.4 कार्यालय का पता –.....
- 1.5 टेलीफोन नंबर
- 1.6 ईमेल
- 1.7 संपर्क व्यक्ति का पता:-.....

निविदाकार का हस्ताक्षर मोहर के साथ

सामग्री का विवरण

S.No.	Department	SOR	Year	Item Code	Description /Specification of Spare Parts & Materials	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DMSSK	NS	2025	2NA1	Roller grooving tool 40x40x300mm carbide tips size-40x50x9.7mm Thk. 40deg. Make-Sandwik	NO		2	
2	DMSSK	NS	2025	2NA2	Break drum coupling 250 mm as per sample. Make- ISI	NO		1	
3	DMSSK	NS	2025	2NA5	Coupling nut bolt dia 19 mm thread size 16 mm length 91 mm for pin bush type. Make-ISI	NO		10	
4	DMSSK	NS	2025	2NA6	Coupling nut bolt dia 19 mm thread size 16 mm length 98 mm for pin bush type. Make-ISI	NO		10	
5	DMSSK	NS	2025	2NA7	SS sleeve for wet scrubber pump cap 50 ltr/sec Head 15mtr (ASN 1248C). Make-Green Force	NO		5	
6	DMSSK	NS	2025	2NA8	S.S. Sleeve Megachem 32x160. Make-K S B Make	NO		2	
7	DMSSK	NS	2025	2NA9	C.I. Sluice valve non rising 50 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 215mm, no. of holes 4 , PCD 125mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
8	DMSSK	NS	2025	2NA10	CI slice valve Rising spindle 65 mm having SS Spindie and working parts flange to flange distance 230 mm n0 of hole 4 PCD 145 mm is 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
9	DMSSK	NS	2025	2NA11	C.I. Sluice valve non rising 65 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 230mm, no. of holes 4 , PCD 145mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
10	DMSSK	NS	2025	2NA12	C.I. Sluice valve non rising 80 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 230mm, no. of holes 4 , PCD 145mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		1	
11	DMSSK	NS	2025	2NA13	C.I. Sluice valve rising Spindie 100 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 255mm, no. of holes 8 , PCD 180mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		7	
12	DMSSK	NS	2025	2NA14	C.I. Sluice valve non rising 100 mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance 255mm, no. of holes 8 , PCD 180mm.IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
13	DMSSK	NS	2025	2NA15	C.I. Sluice valve non rising 125mm having SS spindle & SS working parts flange to flange distance mm, no. of holes 8, PCD .IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		1	
14	DMSSK	NS	2025	2NA17	CI Sluice valve non rising 150mm having Ssspindle and ss working part IS 780. Make-pelicon Authorized	NO		2	
15	DMSSK	NS	2025	2NA22	CI Non return valve 65mm. Make-pelicon Authorized	NO		4	
16	DMSSK	NS	2025	2NA23	CI Non return valve 100mm. Make-pelicon Authorized	NO		4	
17	DMSSK	NS	2025	2NA25	M.S. Plate 6mm Size 1.25mx6 m. Make-Jindal/TATA/SAIL	KG		4000	
18	DMSSK	NS	2025	2NA26	M.S. Plate 8mm Size 1.25mx6 m. Make-Jindal/TATA/SAIL	KG		906	
19	DMSSK	NS	2025	2NA27	M.S. Plate 10mm Size 1.25mx6 m. Make-Jindal/TATA/SAIL	KG		566	

20	DMSSK	NS	2025	2NA28	MS Plate 12mm Size 1.25m x6m. Make-Jindal/TATA	KG		706	
21	DMSSK	NS	2025	2NA29	MS Plate 20 mm Size 1.25x6m. Make-SAIL	KG		1177	
22	DMSSK	NS	2025	2NA30	MS plate 3x 1250x6000 mm. Make-Jindal	KG		1760	
23	DMSSK	NS	2025	2NA31	MS Plate 32 mmx1250x2000mm. Make-Sail	KG		630	
24	DMSSK	NS	2025	2NA32	M.S Plate 25mm1250MMX6000MM. Make-SAIL	KG		1471	
25	DMSSK	NS	2025	2NA33	MS Angle 25 x25x3mm (10 lengh). Make- Jindal	KG		110	
26	DMSSK	NS	2025	2NA34	MS Angle 65x65x8mm. Make-Sail	KG		100	
27	DMSSK	NS	2025	2NA35	MS Angle 75x75x10mm. Make-Sail	KG		120	
28	DMSSK	NS	2025	2NA36	M.S. Angle 50x50x6 mm. Make-Sail	KG		300	
29	DMSSK	NS	2025	2NA37	E N 8 Round bar 25mm. Make-ISI	KG		50	
30	DMSSK	NS	2025	2NA38	E N 8 Round bar 28mm. Make-ISI	KG		100	
31	DMSSK	NS	2025	2NA39	M.S Squire bar 22mm. Make-Sail	KG		50	
32	DMSSK	NS	2025	2NA40	MS Flat 50x6mm. Make-TATA	KG		200	
33	DMSSK	NS	2025	2NA41	MS Flat 65x6mm. Make-Sail	KG		250	
34	DMSSK	NS	2025	2NA42	MS Flat 75x6mm. Make-Jindal	KG		100	
35	DMSSK	NS	2025	2NA43	M.S. Pipe C Class 1/2" thickness 4mm (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		50	
36	DMSSK	NS	2025	2NA44	M.S Pipe 3/4" thickness 4mm.(IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal	KG		100	
37	DMSSK	NS	2025	2NA45	M.S. Pipe C Class 1" thickness 4mm (10 lenght). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty).Make-Jinal/TATA	KG		110	
38	DMSSK	NS	2025	2NA46	M.S. Pipe C Class 1.5" thickness 5mm (10 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty) . Make-Jindal/TATA	KG		300	
39	DMSSK	NS	2025	2NA47	M.S. Pipe C Class 2" thick 5mm(4 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		125	
40	DMSSK	NS	2025	2NA48	M.S. Pipe C Class 2.5" thick 5mm. (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		240	
41	DMSSK	NS	2025	2NA49	M.S. Pipe C Class 3" thick 6mm (2 LENGTH). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		144	
42	DMSSK	NS	2025	2NA50	M.S. Pipe C Class 4" thick 6mm(2 Length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		198	
43	DMSSK	NS	2025	2NA51	M.S. Pipe C Class 5" thick 6mm(2 length).(IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		232	
44	DMSSK	NS	2025	2NA52	M.S. Pipe C Class 6" thick 6mm(1 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		280	
45	DMSSK	NS	2025	2NA53	M.S. Pipe C Class 200mm(IS 3589 Class C ERW) thikness -8mm (1 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		200	

46	DMSSK	NS	2025	2NA54	M.S. Pipe C Class 250mm(IS 3589 Class C ERW) thikness -8mm(1lenght). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		300	
47	DMSSK	NS	2025	2NA55	M.S. Pipe C Class 300mm(IS 3589 Class C ERW) thikness -8mm (1 length). (IS-1239 Part1 'C' Class Heavy Duty). Make-Jindal/TATA	KG		365	
48	DMSSK	NS	2025	2NA56	M.S. Short Bend C Class 1½"(STD). Make-ISI	NO		10	
49	DMSSK	NS	2025	2NA57	M.S. Short Bend C Class 2" thicness 6mm(STD). Make-ISI	NO		20	
50	DMSSK	NS	2025	2NA58	M.S. Short Bend C Class 5" thicness 6mm (short bend)(STD). Make-ISI	NO		10	
51	DMSSK	NS	2025	2NA59	M.S. Short Bend C Class 4" thicness 6mm (STD). Make-ISI	NO		5	
52	DMSSK	NS	2025	2NA60	M.S. Short Bend C Class 6" thicness 8mm.STD. Make-ISI	NO		5	
53	DMSSK	NS	2025	2NA61	M.S. Bend 250mm C class Thickness 10mmSTD. Make-ISI	NO		2	
54	DMSSK	NS	2025	2NA62	M.S. Bend 300mm C class Thickness 10mm. Make-ISI	NO		3	
55	DMSSK	NS	2025	2NA63	M.S. Bend 1½" C Class. Make-ISI	NO		4	
56	DMSSK	NS	2025	2NA64	MS Fange 1.5" thickness 12mm. Make-ISI	NO		10	
57	DMSSK	NS	2025	2NA65	M.S. Flange 2"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		20	
58	DMSSK	NS	2025	2NA66	M.S. Flange 3"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		24	
59	DMSSK	NS	2025	2NA67	M.S. Flange 4"(thickness-12mm) PCD-180mm No of hole -8. Make-ISI	NO		10	
60	DMSSK	NS	2025	2NA68	M.S. Flange 6"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		24	
61	DMSSK	NS	2025	2NA69	M.S. Flange 8"(thickness-12mm). Make-ISI	NO		20	
62	DMSSK	NS	2025	2NA70	M.S. Flange ID-66mm,OD-132mm, (thickness-12mm). Make-ISI	NO		10	
63	DMSSK	NS	2025	2NA71	IBR Flange 3/4' OD-100mm PCD-70MM No of hole -4 thk 10mm. Make-ISI	NO		10	
64	DMSSK	NS	2025	2NA72	M.S. Flange -2",OD-132mm, (thickness-12mm),Nos of hole-4,PCD-104 mm. Make-ISI	NO		25	
65	DMSSK	NS	2025	2NA73	CI V- belt Pulley B section three Grooved,Size -15". Make-ANY ISI	NO		4	
66	DMSSK	NS	2025	2NA74	CI V- belt Pulley B section three Grooved, Size -5". Make-ANY ISI	NO		4	
67	DMSSK	NS	2025	2NA75	M.S.Round bar verious size rate quated per kg. Make-ANY ISI	KG		500	
68	DMSSK	NS	2025	2NA76	EN8 Square bar Various size Rate coated per Kg. Make-ANY ISI	KG		500	
69	DMSSK	NS	2025	2NA77	S.S. Sperzer 6" with one side flange As per sample. Make-ANY ISI	NO		1	
70	DMSSK	NS	2025	2NA78	Double beat valve rubber sheet OD- 176mm, ID-105mm, Thickness - 15 mm (As per sample) (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		24	
71	DMSSK	NS	2025	2NA79	Rubber Hose pipe 1"capable for pressure 10kg/cm2 and temp.150deg.C. (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	Mtr		200	
72	DMSSK	NS	2025	2NA80	Hose pipe clamp ID-2",OD-3". (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		20	
73	DMSSK	NS	2025	2NA81	Clarifier mainhole rubber cord (As per sample). (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	Mtr		20	

74	DMSSK	NS	2025	2NA82	Rubber mud scrapper for Vacuum filter, Size 900mm x 150 mm X 20 mm. (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		15	
75	DMSSK	NS	2025	2NA83	Rubber sheet for diaphragm valve 150mm. (rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	NO		10	
76	DMSSK	NS	2025	2NA84	Rubber Joint sheet 3mm(rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	KG		50	
77	DMSSK	NS	2025	2NA85	Rubber Joint sheet 6mm(rubber items should be Neoprene rubber with temperture resist up to 250° C.). Make-Swastik Rubber	KG		50	
78	DMSSK	NS	2025	2NA86	Rubber Oil seal 42x55x8. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
79	DMSSK	NS	2025	2NA87	Rubber Oil seal 40x55x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		25	
80	DMSSK	NS	2025	2NA88	Rubber Oil seal 32x45x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		5	
81	DMSSK	NS	2025	2NA89	Rubber Oil seal 38x55x7. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
82	DMSSK	NS	2025	2NA90	Rubber Oil seal 50x80x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		6	
83	DMSSK	NS	2025	2NA91	Rubber Oil seal 42x55x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		5	
84	DMSSK	NS	2025	2NA92	Rubber Oil seal 45x65x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		10	
85	DMSSK	NS	2025	2NA93	Rubber Oil seal 45x60x10. Make-NILKAMAL/Fenner	NO		5	
86	DMSSK	NS	2025	2NA102	Rubber bush 38x18x38. Make-ISI	NO		20	
87	DMSSK	NS	2025	2NA103	Rubber bush 35x18x35. Make-ISI	NO		50	
88	DMSSK	NS	2025	2NA104	Rubber bush 25x30x12. Make-ISI	NO		50	
89	DMSSK	NS	2025	2NA105	Rubber bush 30x30x20. Make-ISI	NO		20	
90	DMSSK	NS	2025	2NA106	Rubber bush 25x30x35. Make-ISI	NO		10	
91	DMSSK	NS	2025	2NA107	Rubber Bush OD 25mm x ID 12mm x THK 16mm. Make-ISI	NO		100	
92	DMSSK	NS	2025	2NA112	Rubber v Belt C-116. Make-Fenner	NO		5	
93	DMSSK	NS	2025	2NA113	Rubber O ring 3mm. Make-ISI	Mtr		40	
94	DMSSK	NS	2025	2NA114	Rubber O ring 4mm. Make-ISI	Mtr		40	
95	DMSSK	NS	2025	2NA117	C I Complete coupling for Size PH 140. Make-ISI	NO		2	
96	DMSSK	NS	2025	2NA118	C I Complete coupling for size PH 220. Make-ISI	NO		2	
97	DMSSK	NS	2025	2NA119	C I Complete coupling for Full gearcopling 107. Make-Fenner	NO		1	
98	DMSSK	NS	2025	2NA120	C I Complete coupling for Full gear coupling F-103. Make-Fenner	NO		4	
99	DMSSK	NS	2025	2NA121	C I Complete coupling for pin bush coupling OD -230mm 11 pin as per sample. Make-Fenner	NO		1	
100	DMSSK	NS	2025	2NA122	C I Complete coupling for pin bush coupling OD 175mm. Make-Fenner	NO		2	
101	DMSSK	NS	2025	2NA123	C I Complete coupling for Pin bush coupling OD 125mm. Make-Fenner	NO		2	
102	DMSSK	NS	2025	2NA124	C I Complete coupling for Love joy coupling L 95. Make-Fenner	NO		2	
103	DMSSK	NS	2025	2NA125	C I Complete coupling for CI coupling with tyre PH 218. Make-Fenner	NO		2	

104	DMSSK	NS	2025	2NA126	C I Complete coupling for CI coupling with tyre PH 272. Make-Fenner	NO		2	
105	DMSSK	NS	2025	2NA127	CI coupling with tyre PH 96. Make-Fenner	NO		2	
106	DMSSK	NS	2025	2NA128	star coupling complite set L-100. Make-Fenner	NO		2	
107	DMSSK	NS	2025	2NA129	Rubber tyre for PH 126.- Make- Unique	NO		6	
108	DMSSK	NS	2025	2NA130	Rubber tyre for PH o13.- Make- Unique	NO		4	
109	DMSSK	NS	2025	2NA131	Rubber tyre for PH 218\220.- Make- Unique	NO		5	
110	DMSSK	NS	2025	2NA132	Rubber star 95x80x8x30 mm for fluid coupling.- Make- Unique	NO		12	
111	DMSSK	NS	2025	2NA133	Pipe wrinch 12" . Make-Taparia	NO		2	
112	DMSSK	NS	2025	2NA134	Pipe wrinch 18". Make-Taparia	NO		2	
113	DMSSK	NS	2025	2NA135	Spanner 46X50 (De). Make-Taparia	NO		2	
114	DMSSK	NS	2025	2NA136	Spanner 46X50" (Ring). Make-Taparia	NO		2	
115	DMSSK	NS	2025	2NA137	Spanner 36x41(De). Make-Taparia	NO		2	
116	DMSSK	NS	2025	2NA138	Spanner 36x41 (Ring). Make-Taparia	NO		2	
117	DMSSK	NS	2025	2NA139	Tin Cutter 12". Make-Taparia	NO		2	
118	DMSSK	NS	2025	2NA140	Sissor 8". Make-Taparia	NO		1	
119	DMSSK	NS	2025	2NA141	De - Spanner complete set. Make-Taparia	NO		2	
120	DMSSK	NS	2025	2NA142	Ring - Spanner complete set. Make-Taparia	SET		2	
121	DMSSK	NS	2025	2NA143	Adjustable wrench 12". Make-Taparia	NO		4	
122	DMSSK	NS	2025	2NA144	Box spanner set with rachel. Make-Taparia	SET		1	
123	DMSSK	NS	2025	2NA148	rubber pad for AG 7 grinder . Make-Bosch	NO		10	
124	DMSSK	NS	2025	2NA151	Mini Hackksaw Frame with Blade for cable cutting. Make-Universal	NO		2	
125	DMSSK	NS	2025	2NA152	Anabond 412,100ml. Make-Anabond	Tube		10	
126	DMSSK	NS	2025	2NA153	Anabond 666,100ml. Make-Anabond	Tube		40	
127	DMSSK	NS	2025	2NA154	Anabond 202,20ml. Make-Anabond	Tube		50	
128	DMSSK	NS	2025	2NA160	Hose Clamp 8". Make-ISI	NO		4	
129	DMSSK	NS	2025	2NA161	Hose ciamp 1 inch. Make-ISI	NO		20	
130	DMSSK	NS	2025	2NA183	Brass Rod Size 40mmØx600mm (Rate/kg). Make-ISI	NO		1	
131	DMSSK	NS	2025	2NA184	Brass Rod Size 35mmØx1mtr (Rate/kg). Make-ISI	NO		1	
132	DMSSK	NS	2025	2NA185	Brass Rod Size 25mmØx600mm(Rate/kg). Make-ISI	NO		2	
133	DMSSK	NS	2025	2NA186	Brass Rod Size 100mmx600mm(Rate/kg). Make-ISI	NO		1	
134	DMSSK	NS	2025	2NA187	stainless steel Vaccum Ejector for creating vacuum in juice Heater NO. of Nozzle 12 of 24 mm Size. Make-ISI	NO		1	
135	DMSSK	NS	2025	2NA188	IBR tubes size - 1/2". Make-Tata Autorized	Mtr		6	
136	DMSSK	NS	2025	2NA189	IBR tubes size - 1". Make-Tata Autorized/Jindal Autorized	Mtr		6	
137	DMSSK	NS	2025	2NA190	IBR tubes size - 3/4". Make-Tata Autorized/Jindal Autorized	Mtr		36	
138	DMSSK	NS	2025	2NA191	IBR tubes size - 1½". . Make-Tata Autorized/Jindal Autorized	Mtr		12	
139	DMSSK	NS	2025	2NA192	IBR tubes Size- 2". Make-Tata Autorized/Jindal Autorized	Mtr		6	

140	DMSSK	NS	2025	2NA193	IBR Flange Size-100mm (With IBR certificate). Make-Jindal Authorized	NO		4	
141	DMSSK	NS	2025	2NA194	IBR elbow size 1/2". Make-TATA Authorized	NO		3	
142	DMSSK	NS	2025	2NA195	IBR elbow size - 1". Make-TATA Authorized	NO		5	
143	DMSSK	NS	2025	2NA196	IBR elbow size - 1½". Make-TATA Authorized	NO		11	
144	DMSSK	NS	2025	2NA197	IBR Bend Size-4". Make-TATA authorized	NO		12	
145	DMSSK	NS	2025	2NA198	Spiral joint 25x18x4. Make-ISI	NO		12	
146	DMSSK	NS	2025	2NA199	Spiral joint 110x85x4. Make-ISI	NO		12	
147	DMSSK	NS	2025	2NA200	Spiral joint 35x25x4. Make-ISI	NO		10	
148	DMSSK	NS	2025	2NA201	Spiral joint 34x22x4. Make-ISI	NO		6	
149	DMSSK	NS	2025	2NA202	SPIRAL JOINTS 110-90-65-53-5 (outer/inner ring). Make-ISI	NO		4	
150	DMSSK	NS	2025	2NA203	SPIRAL JOINTS 65-45-35-20-5(outer/inne ring). Make-ISI	NO		5	
151	DMSSK	NS	2025	2NA204	Dry Asbestos Rope(cotton) 6.00 mm. Make-ISI	KG		10	
152	DMSSK	NS	2025	2NA205	Dry Asbestos Rope(cotton) 3.00mm. Make-ISI	KG		10	
153	DMSSK	NS	2025	2NA209	Metalic Gland packing Champion Style 1916 SS Wired Rainforced Asbestor packing Size 8mm. Champion Authorized	Mtr		60	
154	DMSSK	NS	2025	2NA210	Metalic joint sheet, 3mm, style 54 (ss wired inside for boiler and turbine). Make-ANY ISI	KG		50	
155	DMSSK	NS	2025	2NA211	Coupling bolt 8x70. Make-ANY ISI	KG		50	
156	DMSSK	NS	2025	2NA212	Coupling bolt 12x75. Make-ANY ISI	NO		20	
157	DMSSK	NS	2025	2NA213	Coupling bolt 12x65. Make-ANY ISI	NO		5	
158	DMSSK	NS	2025	2NA214	Stud with nut size 5/8"x2.5". Make-ANY ISI	NO		25	
159	DMSSK	NS	2025	2NA215	Stud with nut size 1/2"x3". Make-ANY ISI	NO		10	
160	DMSSK	NS	2025	2NA216	Stud with nut size 12x65 mm (8.9). Make-ANY ISI	NO		20	
161	DMSSK	NS	2025	2NA217	Stud with nut size 16x50mm. Make-ANY ISI	NO		10	
162	DMSSK	NS	2025	2NA218	M.S.Nut & Bolts (full Threads) straigth-4.6 (various size) and M.S. Washer various size. Make-ANY ISI	KG		1000	
163	DMSSK	NS	2025	2NA219	MS Bolt 12x40mm Half thread 6.8 With Nyloc Nut 12MM. Make-ANY ISI	KG		100	
164	DMSSK	NS	2025	2NA225	M S spring washer various size. Make-ANY ISI	KG		50	
165	DMSSK	NS	2025	2NA226	SS Bolt 16mmx120mm full thread. Make-ANY ISI	KG		50	
166	DMSSK	NS	2025	2NA227	HT NUT 24mm. Make-ANY ISI	NO		30	
167	DMSSK	NS	2025	2NA228	HT Nut & Bolt with washer 16x90mm (Half thread). Make-ANY ISI	NO		30	
168	DMSSK	NS	2025	2NA229	HT Nut & Bolt with washer 10x40mm. Make-ANY ISI	NO		150	
169	DMSSK	NS	2025	2NA230	HT bolt & nut 6 x 25 mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		100	
170	DMSSK	NS	2025	2NA231	HT bolt & nut 8 x 25 mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		50	
171	DMSSK	NS	2025	2NA232	HT bolt & nut 8 x 80 mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		50	
172	DMSSK	NS	2025	2NA233	HT bolt and nut 10x40mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		100	
173	DMSSK	NS	2025	2NA234	HT bolt and nut 10mmx40mm. Make-ANY ISI	NO		60	

174	DMSSK	NS	2025	2NA235	HT bolt and nut 12X50MM. Make-ANY ISI	NO		200	
175	DMSSK	NS	2025	2NA236	HT bolt and nut 10X25 MM. Make-ANY ISI	NO		50	
176	DMSSK	NS	2025	2NA237	HT bolt and nut 10mmx40mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		20	
177	DMSSK	NS	2025	2NA238	HT bolt and nut 18mmx140mm(10.9). Make-ANY ISI	NO		10	
178	DMSSK	NS	2025	2NA239	HT bolt and nut 10X55mm(10.9) Half thread. Make-TVS	NO		100	
179	DMSSK	NS	2025	2NA240	HT bolt and nut 12x75 mm(10.9). Make-TVS	NO		100	
180	DMSSK	NS	2025	2NA241	HT bolt and nut 16x180mm(10.9). Make-TVS	NO		30	
181	DMSSK	NS	2025	2NA242	HT bolt & nut 16 x 75 mm (half thread) (10.9). Make-TVS	NO		100	
182	DMSSK	NS	2025	2NA243	HT bolt and nut 20x90 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		300	
183	DMSSK	NS	2025	2NA244	HT bolt and nut 20x100 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		150	
184	DMSSK	NS	2025	2NA245	HT bolt and nut 20x150 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		20	
185	DMSSK	NS	2025	2NA246	HT bolt and nut 24X100 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		100	
186	DMSSK	NS	2025	2NA247	HT bolt and nut 22x100 mm half thread (10.9). Make-TVS	NO		100	
187	DMSSK	NS	2025	2NA248	HT bolt & nut 16 x 35mm(10.9). Make-TVS	NO		10	
188	DMSSK	NS	2025	2NA249	HT bolt & nut 16 x 100mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
189	DMSSK	NS	2025	2NA250	HT bolt & nut 16 x 50 mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
190	DMSSK	NS	2025	2NA251	HT bolt and nut 12x60 mm(10.9). Make-TVS	NO		100	
191	DMSSK	NS	2025	2NA252	HT bolt and nut 10X50 mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
192	DMSSK	NS	2025	2NA253	HT bolt and nut 18x65 mm(10.9). Make-TVS	NO		50	
193	DMSSK	NS	2025	2NA254	HT bolt and nut 10x25mm(10.9). Make-TVS	NO		10	
194	DMSSK	NS	2025	2NA255	HT bolt and nut 22x100mm(10.9) Half thread 10.9. Make-TVS	NO		100	
195	DMSSK	NS	2025	2NA256	HT Theaded coupling bolt (30mm X 3/8" ϕ) + (15mm X 12 mm ϕ) & 16 mm ϕ head. (10.9). Make-TVS	NO		100	
196	DMSSK	NS	2025	2NA262	trasporant type Water indication glass OD 20MM TEMP 150 dergri. Make-ISI	NO		7	
197	DMSSK	NS	2025	2NA263	circlip 85mm outer. Make-ISI	NO		10	
198	DMSSK	NS	2025	2NA264	circlip 95mm outer. Make-ANY ISI	NO		5	
199	DMSSK	NS	2025	2NA265	Welding Electrode Azukar 100. Make-BRAZIL	KG		30	
200	DMSSK	NS	2025	2NA269	Tool post spanner 1/2 inch. Make-Taparia	NO		2	
201	DMSSK	NS	2025	2NA270	Tool post spanner 3/4 inch. Make-Taparia	NO		2	
202	DMSSK	NS	2025	2NA273	SSR -600 Thyristorised MMA Power Source Class Insulation -H . Make-Esab	NO		1	
203	DMSSK	NS	2025	2NA276	hose clamp 1/2 inch. Make-Esab	NO		100	
204	DMSSK	NS	2025	2NA277	glow pipe nozzle. Make-Esab	NO		12	
205	DMSSK	NS	2025	2NA278	oxygen presser valve. Make-Esab	NO		1	
206	DMSSK	NS	2025	2NA291	Screw driver 12 inch. Make-Mirinda	NO		2	
207	DMSSK	NS	2025	2NA293	Hight gauge vernier callipers 0-450mm. Make-Mitutoyo	NO		1	
208	DMSSK	NS	2025	2NA294	vernior caliper with dial range 0-300mm. Make-Mitutoyo	NO		1	

209	DMSSK	NS	2025	2NA297	Alankey Set mm size. Make-Mirinda	SET		2	
210	DMSSK	NS	2025	2NA298	M-Seal. Make-Any ISI	KG		30	
211	DMSSK	NS	2025	2NA302	Tapflon Tape . Make-ISI	NO		300	
212	DMSSK	NS	2025	2NA304	Oil Paper. Make-ISI	NO		50	
213	DMSSK	NS	2025	2NA309	Blue Plast Tube 20 gm. Make-ISI	tube		20	
214	DMSSK	NS	2025	2NA311	Hand screen. Make-ISI	NO		2	
215	DMSSK	NS	2025	2NA314	Wooden Strip Size 75mmx880mmxthick 15mm. Make-ISI	NO		100	
216	DMSSK	NS	2025	2NA315	Connecting shaft (wooden) Size (2400x150x100)mm. Make-Teak wood	NO		3	
217	DMSSK	NS	2025	2NA342	Plumber Block & Spares, Sleeve- CH 3148 MCS ADOPTER. Make-SKF Authorized	NO		2	
218	DMSSK	NS	2025	2NA351	Plumber Block of Bearing 22230K Special Design for Hopper Connecting Shaft round shape as per sample. Make-SKF Authorized	NO		1	
219	DMSSK	NS	2025	2NA352	Cyclon Reducer Model HMHO. 25.SP-0-3 SR NO -07080571 (Reduction gear). Make-CYCOLOTRAN	NO		1	
220	DMSSK	NS	2025	2NA353	Wire brush unikleen no -40 9x16 row 1.25 inch long wire thickness 28swg. Make-Uniflex/Feroflex	NO		100	
221	DMSSK	NS	2025	2NA354	5 mesh, 18 gauge S.S. wire netting, Size - 2.0 x 9 mtrs. 316 grade non megnetic. Make-ANY ISI	SET		1	
222	DMSSK	NS	2025	2NA355	Brass liner (Working face) for NHEC Make NG-1250 Model Machin basket flat bottom and size 38x54 inch capacity 1250 KG/charge. Make-Atul	SET		3	
223	DMSSK	NS	2025	2NA356	Heat Resistance zinc Dust Graphite stack paint, Temp. resistance upto 500° C. (RUSTECK). Make-Berger	Litre		20	
224	DMSSK	NS	2025	2NA357	Heat Resistance Chimney Black,Temp. resistance upto 500° C. Make-Berger	Litre		40	
225	DMSSK	NS	2025	2NA358	High glossy heat resistance Aluminium paint (Two pack). Make-Berger	Litre		180	
226	DMSSK	NS	2025	2NA359	Red oxide zinc chromate primer. Make-Berger	Litre		200	
227	DMSSK	NS	2025	2NA360	Double boiled Linceed oil cat brand. Make-Catbrand	Litre		140	
228	DMSSK	NS	2025	2NA361	Acid alikali heat resistance white paint, Temperture resist. 120 C. Make-Berger	Litre		80	
229	DMSSK	NS	2025	2NA362	White paint for general use. Make-Berger	Litre		200	
230	DMSSK	NS	2025	2NA363	Post office red, Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
231	DMSSK	NS	2025	2NA364	Golden Yellow, Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
232	DMSSK	NS	2025	2NA365	phiroza blue, Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
233	DMSSK	NS	2025	2NA366	Bus Enamel Green Paint. Make-Berger	Litre		80	
234	DMSSK	NS	2025	2NA367	Smoke Grey Enamel paint. Make-Berger	Litre		140	
235	DMSSK	NS	2025	2NA368	General purpose Thinner. Make-Berger	Litre		60	
236	DMSSK	NS	2025	2NA371	Spiral round twisted wire brush 8mm. Make-Any ISI	NO		10	
237	DMSSK	NS	2025	2NA372	Spiral round twisted wire brush 10mm. Make-Any ISI	NO		10	
238	DMSSK	NS	2025	2NA373	Spiral round twisted wire brush 12mm. Make-Any ISI	NO		10	

239	DMSSK	NS	2025	2NA374	Kit Kat fuse 32 Amps 240V, Make- HAVELLS	NO		3	
240	DMSSK	NS	2025	2NA375	Kit Kat fuse 63 Amps 240V, Make- HAVELLS	NO		3	
241	DMSSK	NS	2025	2NA376	Pendent Holder (without pin), Make- ANCHOR	NO		100	
242	DMSSK	NS	2025	2NA377	Pin type LED lamp base cap-B22,7W, Make- HAVELLS	NO		20	
243	DMSSK	NS	2025	2NA378	Pin type LED lamp base cap-B22,10W, Make- HAVELLS	NO		20	
244	DMSSK	NS	2025	2NA379	Pin type LED lamp base cap-B22,20W, Make- HAVELLS	NO		5	
245	DMSSK	NS	2025	2NA380	LED Flood Havells Endura pearl 70 watt light, Make- HAVELLS	NO		12	
246	DMSSK	NS	2025	2NA381	emergency LED bulb 9watt, Make- ORIENT	NO		20	
247	DMSSK	NS	2025	2NA382	20watt LED Pride plus6500K2000Lumen, Make- HAVELLS	NO		100	
248	DMSSK	NS	2025	2NA383	Pin type Bulbs, 40W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		50	
249	DMSSK	NS	2025	2NA384	Pin type Bulbs, 60W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		100	
250	DMSSK	NS	2025	2NA385	Pin type Bulbs, 200W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		50	
251	DMSSK	NS	2025	2NA386	Pin type Bulbs, 100W, 230V.AC, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		100	
252	DMSSK	NS	2025	2NA387	Uni switch socket combined unit box,240v,50hz,20A & 10A code-14616, Make- BAJAJ/PHILIPS	NO		10	
253	DMSSK	NS	2025	2NA388	Street Light ENDURAPERLS SL25 W LED757SAYTOPC, Make- HAVELLS	NO		10	
254	DMSSK	NS	2025	2NA389	Highbay Lighting ENDURABAYBRIGHT SOURCE BAYBRIGHTSOURCE 120WLED757SAYTOPC. Make- HAVELLS	NO		6	
255	DMSSK	NS	2025	2NA390	ENDURA WELL GLASS Neo - IP65,ENDURAWELGLASSNEOWGP40WLED757SPC. Make- HAVELLS	NO		15	
256	DMSSK	NS	2025	2NA391	Endura Highbrite Plus,ENDURAHIBRITEPLUSHBP90WLED765S90DTOLENS. Make- HAVELLS	NO		15	
257	DMSSK	NS	2025	2NA392	Basic all purpose surface and wall mounted LED batten with polycarbonate housing & integrated electronic driver,LUMILINEBS20WLED865SPCWH.HSN Code-9405. Make- HAVELLS	NO		20	
258	DMSSK	NS	2025	2NA393	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,2A, Make- HAVELLS	NO		6	
259	DMSSK	NS	2025	2NA394	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,6A, Make- HAVELLS	NO		6	
260	DMSSK	NS	2025	2NA395	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,16A, Make- HAVELLS	NO		10	
261	DMSSK	NS	2025	2NA396	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, SP Cat No-DHMGBSPF006-032,25A, Make- HAVELLS	NO		10	

262	DMSSK	NS	2025	2NA397	'B' Series SP MCB, (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240V, 50Hz,10kA Suitable for lighting and other domestic loads HSN Code - 8536, DP Cat No-DHMG BSPF006-032,25A, Make- HAVELLS	NO		6	
263	DMSSK	NS	2025	2NA398	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,TPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,25A,Make- HAVELLS	NO		6	
264	DMSSK	NS	2025	2NA399	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,TPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,32A,Make- HAVELLS	NO		6	
265	DMSSK	NS	2025	2NA400	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,TPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,63A,Make- HAVELLS	NO		6	
266	DMSSK	NS	2025	2NA401	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,SPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,25A,Make- HAVELLS	NO		6	
267	DMSSK	NS	2025	2NA402	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,SPN Cat. No-DHMGCTNF006-032,32A,Make- HAVELLS	NO		6	
268	DMSSK	NS	2025	2NA403	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536,DP C 06-32A mini MCB with enclosure,DP Cat. No.-DHMPCDPA006-32,32A,Make- HAVELLS	NO		4	
269	DMSSK	NS	2025	2NA404	'C' Series MCB (In accordance with IS/IEC 60898-1) 240/415V, 50Hz, 10kA Suitable for Motor and other Inductive loads HSN Code - 8536, DBOXx MCB Protected Socket,With Plastic Enclosure (for surface mounting) ,Cat. No-DHDTCSN0251025,25A MCB DBOX COMBO Plastic,25A,Make- HAVELLS	NO		4	
270	DMSSK	NS	2025	2NA405	Combination plier, 210mm,Product No-1621-8N, Make- Taparia	NO		12	
271	DMSSK	NS	2025	2NA406	Line tester, Prod no. 813, Make- Taparia	NO		12	
272	DMSSK	NS	2025	2NA407	Line tester, Prod no. 818, Make- Taparia	NO		12	
273	DMSSK	NS	2025	2NA408	Continuety tester, Make- Taparia	NO		6	
274	DMSSK	NS	2025	2NA409	Taparia 831 Screw Driver Set, Make- Taparia	NO		4	
275	DMSSK	NS	2025	2NA410	Pulse ultra Plus Battery with SMPS Charger,Battery Rating-24V,32Ah,Charger Rating Amp-24V 5A,Part No-AX1013235 for 160 to 500KVA DG set, Make- CUMMINS	NO		2	
276	DMSSK	NS	2025	2NA411	Sealed-Lead Acid Battery,12 V,42Ah,Type-EP 42-12,Powersafe plus, Make- EXCIDE	NO		2	
277	DMSSK	NS	2025	2NA412	THRUSTER Type ST520 KG 18 CM 5 PH 3 V415 C/9 50, Make- SPEED-O-CONTROL	NO		3	
278	DMSSK	NS	2025	2NA413	24V DCSMPS SNO1311 For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
279	DMSSK	NS	2025	2NA414	Relay board 24V 8X2 For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	

280	DMSSK	NS	2025	2NA415	Relay board 24V 4X2 For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
281	DMSSK	NS	2025	2NA416	Signal isolator control board For DC Drive800, Make- ABB	NO		2	
282	DMSSK	NS	2025	2NA417	Capacitor 36 μfd, 230V, Make- HAVELLS	NO		5	
283	DMSSK	NS	2025	2NA418	Capacitor 50 μfd, 230V, Make- HAVELLS	NO		5	
284	DMSSK	NS	2025	2NA419	Cable harnes for DC Drive DCS800, Make- ISI	NO		3	
285	DMSSK	NS	2025	2NA420	OPC Cable for ACS580 Drive, Make- ISI	NO		3	
286	DMSSK	NS	2025	2NA422	Tacho generator (60V-1000RPM). Make- BAUMER-HURBER	NO		3	
287	DMSSK	NS	2025	2NA426	Speed increase push button, Make- ISI	NO		6	
288	DMSSK	NS	2025	2NA427	Speed decrease push button, Make- ISI	NO		6	
289	DMSSK	NS	2025	2NA443	Spares for AVR panel / Excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3 Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, VOLTMETER size96x96 (0-250V)M96, Make- Mecor	NO		1	
290	DMSSK	NS	2025	2NA444	Spares for AVR panel / Excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3 Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, Voltmeter(0-600)(96 x 96),S196, Make- Mecor	NO		2	
291	DMSSK	NS	2025	2NA445	Spares for AVR panel / Excitation control panel Generator - rating 3000KW, 415V, 50HZ, 3 Phase, Excitation voltage - 150V DC, Current - 5A DC, Ammeter, size-96x96 (0-10A) M96 75mv, Make- Mecor	NO		2	
292	DMSSK	NS	2025	2NA448	Card for ACS580 ,CCU24-S, CODE: 3AXD5000034659, Make- ABB	NO		2	
293	DMSSK	NS	2025	2NA449	Control board SDCS CON-4 for DCS 800 Drive with software,Make- ABB	NO		2	
294	DMSSK	NS	2025	2NA450	Power interface board Pin -4 for DCS 800 Drive with shoftware, Make- ABB	NO		2	
295	DMSSK	NS	2025	2NA452	Timer (Model-ET-100 L&T), Make-ISI	NO		3	
296	DMSSK	NS	2025	2NA453	PVC insulation adhesive tape (¾") RED . Make- L&T	roll		90	
297	DMSSK	NS	2025	2NA454	PVC insulation adhesive tape (¾") YELLOW. Make- L&T	roll		90	
298	DMSSK	NS	2025	2NA455	PVC insulation adhesive tape (¾") BLUE. Make- L&T	roll		90	
299	DMSSK	NS	2025	2NA456	PVC insulation adhesive tape (¾") GREEN. Make- L&T	roll		90	
300	DMSSK	NS	2025	2NA457	PVC insulation adhesive tape (¾") BLACK. Make- L&T	roll		90	
301	DMSSK	NS	2025	2NA458	Cable tie(small size), Make- ISI	Pack		2	
302	DMSSK	NS	2025	2NA459	Cable tie(big size) Make- ISI	pack		2	
303	DMSSK	NS	2025	2NA460	No volt coil for ACB1250 Amps3WT8, Make- Siemens	NO		3	
304	DMSSK	NS	2025	2NA461	No volt coil for ACB 1600 Amps 3WT8, Make- Siemens	NO		3	
305	DMSSK	NS	2025	2NA462	U/V Coil 220V For 800 A. ACB 3WT9853, Make- Siemens	NO		2	
306	DMSSK	NS	2025	2NA463	Single phase starter for monoblock pump 220V, Make- L&T	NO		3	
307	DMSSK	NS	2025	2NA470	Power distribution switch 100 Amp 3KT8211, Make- Siemens	NO		2	
308	DMSSK	NS	2025	2NA471	Power distribution switch 20 , 32Amp 3KT8120, Make- Siemens	NO		2	
309	DMSSK	NS	2025	2NA472	Power distribution switch 200 Amp 3KT8311, Make- Siemens	NO		2	

310	DMSSK	NS	2025	2NA473	Power distribution switch 315 Amp 3KT8331, Make- Siemens	NO		2	
311	DMSSK	NS	2025	2NA474	Power distribution switch 400 Amp 3KT8341, Make- Siemens	NO		2	
312	DMSSK	NS	2025	2NA475	Power distribution switch 630 Amp 3KT8421, Make- Siemens	NO		2	
313	DMSSK	NS	2025	2NA504	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, Twin twisted Flexible copper wire 23\76, Make- Havells	Mtr		270	
314	DMSSK	NS	2025	2NA505	Heat Resistant Flame Retardant HRFR PVC Insulated Industrial Cables,Havells Single Core HRFR PVC Insulated Industrial Grade Copper Conductor (Unsheathed)Flexible Cables, 1100 Volts Conforming to IS: 694, Twin twisted Flexible copper wire 40\76, Make- Havells	Mtr		270	
315	DMSSK	NS	2025	2NA525	Portable fire extinguisher CO2 type, capacity - 4.5kg, discharge value -squeeze grip type, Aluminium siphon tube. Make-ANY ISI	NO		10	
316	DMSSK	NS	2025	2NA526	Respiratory dust mask. Make-ANY ISI	NO		10	